पुलिस उपाधीक्षक (अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता)

सीधी भर्ती प्रशिक्षण पाठयक्रम-2024

समयावधि- 1 वर्ष, 15 दिवस

डा0 भीमराव आम्बेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी, मुरादाबाद।

1. प्रशिक्षण की रूपरेखा:-

1	डा0 भीमराव आम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अकादमी, मुरादाबाद	**1** वर्ष 15 दिवस	**380** दिन
2	जनपदीय व्यवहारिक प्रशिक्षण	**05** माह	**146** दिन
3	**डी ब्रीफिंग सेशन**	**01** सप्ताह	**06** दिन
	कुल		**532** दिन

2. पुलिस उपाधीक्षक (अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती) प्रशिक्षुओं के **डा0 भीमराव आम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अकादमी**, **मुरादाबाद** में आगमन के पूर्व ही एक स्वागत कक्ष की स्थापना की जायेगी, जिसमें एक पुलिस कर्मी की नियुक्ति की जायेगी, जो प्रशिक्षुओं को निर्धारित आवास, भोजनालय, मनोरंजनगृह, पुस्तकालय एवं परेड ग्राउण्ड, अधिकारियों के कार्यालय एवं आवास, चिकित्सालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र की जानकारी देगा।

3. आगमन के पश्चात प्रशिक्षुओं द्वारा नामिनल रोल फार्म आदि भरना होगा जिसके निमित्त उनकी एक नवीनतम फोटो, आधारकार्ड की छायाप्रति एवं नियुक्ति आदेश आदि की आवश्यकता होगी। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से मैस एडवान्स के रूप में **10,000/-** जमा कराया जायेगा जिसे प्रशिक्षण के अन्त में वापस कर दिया जायेगा।

4. समस्त प्रशिक्षुओं के आगमन के प्रथम सप्ताह में जीरो परेड करायी जायेगी, जिसमें उन्हें जनपद के मुख्यालय में नियुक्त समस्त पुलिस अधिकारियों के कार्यालयों एवं आवासों के बारे में जानकारी करायी जायेगी।

5. प्रशिक्षण के प्रारम्भ में "जीरो वीक" आयोजित किया जायेगा। इस सत्र में प्रशिक्षुओं के साथ **Ice Breaking Exercise** का आयोजन किया जायेगा। "जीरो वीक" की अवधि में प्रशिक्षुओं को पुलिस विभाग के परिवेश से परिचित कराया जायेगा, जिसमें मुख्य रूप से वर्दी का रख-रखाव तथा उसका पहनना, वर्दी तथा सादे कपड़ों में अधिकारियों का अभिवादन करना, सावधान एवं विश्राम बनाना, विभिन्न पद के पुलिस अधिकारियों के रैंक बैज का ज्ञान, परेड ग्राउण्ड, आफीसर्स मैस एवम् आफीसर्स हॉस्टल के नियमों व अनुशासन का ज्ञान कराया जायेगा।

6. नापतौल

प्रशिक्षुओं की शारीरिक नाप-जोख ऊँचाई, वजन, कमर एवं नाभि के स्थल पर नाप सैन्य सहायक द्वारा सम्पादित कराई जायेगी, जिसका उल्लेख नाप-जोख रजिस्टर में किया जायेगा। यह नाप प्रत्येक तीन माह में की जायेगी। इसका एक रजिस्टर रखा जायेगा। इसमें एक ही स्थान पर चारों तिमाहियों का नाप लिखा जायेगा। जिस प्रशिक्षु का **B.M.I. (Body Mass Index)** वान्छनीय (**21-24)** से कम / ज्यादा हो उस पर विशेष ध्यान दिया जायेगा ताकि **B.M.I.** वान्छनीय स्तर पर आ जाये। इसी प्रकार कमर की नाप भी प्रशिक्षण के साथ कम हो जानी चाहिए। इस नाप-जोख का उद्देश्य यह देखना है कि प्रशिक्षुओं की शारीरिक फिटनेस में प्रशिक्षण से अपेक्षित सुधार हो रहा है या नहीं।

7. आवास

सभी प्रशिक्षुओं को निदेशक द्वारा निर्दिष्ट आवासों में ही रहना होगा। किसी प्रशिक्षु को निर्धारित हॉस्टल के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर निवास की अनुमति नहीं दी जायेगी और न ही छात्रावास में किसी प्रशिक्षु के किसी परिवारीजन को आने-जाने / रहने की अनुमति होगी। प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रशिक्षु को संस्था में निजी वाहन रखना अनुमन्य नहीं होगा।

- प्रशिक्षुओं का आचरण उच्चकोटि का होना चाहिए, जिससे संस्था में अनुशासन सुदृढ़ रहे।
- प्रशिक्षु संस्था के सभी कार्यक्रमों में समयबद्धता एवं नियमों का ध्यान रखेंगें।
- प्रशिक्षु व्यक्तिगत सफाई, सामाजिक व्यवहार, शिष्टाचार, मर्यादा और सत्यनिष्ठा का विकास करेंगें।
- प्रशिक्षु अपने सहयोगियों, संस्था के अधिकारियों / कर्मचारियों एवं अतिथियों के साथ संस्था के भीतर व संस्था के बाहर शिष्ट व्यवहार करेंगें।

- प्रशिक्षु भोजनालय, मनोरंजन कक्ष, छात्रावास आदि में तेज ध्वनि से म्यूजिक नहीं बजायेंगें और न ही तेज स्वर में बात करेंगें।
- संस्था में धूम्रपान करना वर्जित है। संस्था परिसर में मदिरापान, नशीले पदार्थों का सेवन, तम्बाकू, गुटका व पान मसाले का सेवन एवं किसी भी प्रकार का भोजन बनाना पूर्णतः वर्जित होगा।
- अकादमी का सम्पूर्ण परिसर पॉलीथीन मुक्त घोषित किया गया है। अतः सिंगल उपयोग प्लास्टिक पॉलीथीन उपयोग नहीं करेंगें।

8. ऑफिसर्स मैस

मैस में किसी भी प्रकार का अनौपचारिक परिधान, यथा-हाफ पेन्ट / शार्ट्स, ट्रैक सूट, स्लीपिंग सूट, कुर्ता-पायजामा, बाथरूम स्लीपर, चप्पल आदि पहनकर प्रवेश नहीं किया जायेगा। मैस में भोजन में निर्धारित परिधान में बैठकर किया जायेगा। भोजनालय से भोजन ले जाकर छात्रावास के कक्ष में या अन्यत्र भोजन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। मैस का पूर्ण संचालन प्रशिक्षुओं द्वारा अपने मध्य से चयनित मैस कमेटी द्वारा किया जायेगा।

9. सेवाओं के लिये भुगतान

संस्था द्वारा जो भी छात्रावास परिचर (Hostal Attendant), नाई, धोबी, मोची की सेवाओं तथा अन्य सुविधायें (यथा-जनरेटर, इन्वर्टर, छात्रावास के रख-रखाव आदि) उपलब्ध करायी जायेंगी, उनके निमित्त की गई कटौती (कटिंग) लाभ-हानि रहित (No Profit No Loss) के आधार पर होगी। प्रशिक्षण के अन्त में यदि उक्त फण्ड में से कोई भी धनराशि शेष रह जाती है तो उसे उसी बैच के प्रशिक्षु के बीच में अनुपातिक रूप में वितरित कर दिया जायेगा।

10. स्क्वाड कमाण्डर के कर्तव्य

प्रत्येक स्क्वाड (Squad) के लिए सैन्य सहायक द्वारा एक सप्ताह की अवधि के लिए रोटेशन के आधार पर स्क्वाड कमाण्डर की नियुक्ति प्रशिक्षुओं में से की जायेगी। यह नियुक्ति सैन्य सहायक पाठ्यक्रम निदेशक से विचार विमर्श के बाद करेंगें। स्क्वाड कमाण्डर का दायित्व होगा कि आफीसर्स मैस से सभी प्रशिक्षुओं को एक टोली के रूप में अन्तः / बाह्य स्थल तक लेकर जायेगा तथा कक्षा की समाप्ति के उपरान्त अनुशासित तरीके से पूरी टोली को वापस आफीसर्स मैस में ले आयेगा। इसके अतिरिक्त वह स्क्वाड के किसी प्रशिक्षु की अनुपस्थिति अथवा अनुशासन के मामले की रिपोर्ट सैन्य सहायक / स्क्वाड प्रशिक्षक को देगा। वह अपने स्क्वाड को उच्च अधिकारियों के निर्देश समय से बताने के लिए उत्तरदायी होगा। वह अपने स्क्वाड का सटीक परेड स्टेटमेन्ट देने के लिए उत्तरदायी होगा। वह सुनिश्चित करेगा कि स्क्वाड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के दौरान अनुशासन बना रहे।

11. क्लास कमाण्डर के कर्तव्य

प्रत्येक सप्ताह पाठ्यक्रम निदेशक द्वारा प्रशिक्षुओं में से क्लास कमाण्डर नामित किया जायेगा।

इण्डोर कक्षाओं में उपस्थिति के सम्बन्ध में क्लास कमांडरों के निम्नलिखित कर्तव्य हैं-

(क) क्लास कमांडरों के नाम प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिसूचित किए जाएंगे।

(ख) यह सुनिश्चित करना क्लास कमांडर का कर्तव्य है कि सभी प्रशिक्षु इण्डोर शाखा द्वारा निर्गत सीटिंग प्लान के अनुसार बैठे हैं। किसी को भी अपनी मर्जी से अपनी सीट बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां सीटिंग प्लान निर्दिष्ट नहीं है, वहाँ क्लास कमांडर यह सुनिश्चित करेगा कि क्लास / ऑडिटोरियम आदि अनुशासित तरीके से समान रूप से भरे हों।

(ग) सभी प्रशिक्षु क्लास में नियत समय से 05 मिनट पूर्व बैठ जायेंगे। किसी आपात स्थिति में अन्तःकक्षीय प्रशिक्षण के दौरान यदि प्रशिक्षु को अन्तःकक्ष से बाहर तथा संस्था परिसर के अन्दर किसी अन्य स्थान पर जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो वह पाठ्यक्रम निदेशक की अनुमति से जा सकेंगें।

(घ) क्लास कमांडर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कालांश प्रारम्भ होने से पहले क्लास निर्धारित क्रम में बैठी है।

(ङ) यदि क्लास कमांडर वर्दी में है, तो वह अपनी टोपी पहनेगा और संकाय सदस्य / अतिथि प्रवक्ता को सलामी देगा। यदि कक्षा के लिए निर्धारित संकाय सदस्य किसी अपरिहार्य कारण से समय पर कक्षा लेने नहीं आता है, तो क्लास कमांडर कक्षा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए पाठ्यक्रम निदेशक के संज्ञान में लायेगा।

(च) क्लास कमाण्डर का कर्तव्य है कि वह जब भी संकाय सदस्य / अतिथि प्रवक्ता कक्षा में प्रवेश करते हैं या बाहर निकलते है वह स्वयं सावधान होकर "कक्षा सावधान बैठ" बोलेगा और अतिथि प्रवक्ता / सदस्य द्वारा आदेश पर "आराम से बैठ" की कार्यवाही की जायेगी। प्रवक्ता के क्लास से बाहर जाने के बाद क्लास कमाण्डर द्वारा "आराम से बैठ" का आदेश दिया जायेगा।

(छ) क्लास कमांडर प्रशिक्षुओं की उपस्थिति की जाँच करेंगें और निर्धारित प्रारूप में उपस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगें, जिसमें अनुपस्थित और देर से आने वालों के नाम का उल्लेख करते हुए संबंधित इण्डोर प्रभारी को उनके हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। अतिथि संकाय के मामले में उपरोक्त विवरण संबंधित विषय समन्वयक / संकाय सदस्य को उनके हस्ताक्षर के लिए दिया जाना चाहिए। किसी आयोजित समारोहों के मामले में, उपस्थिति रिपोर्ट पाठ्यक्रम निदेशक / स्टाफ काउंसलर को प्रस्तुत की जायेगी।

(ज) गलत उपस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले क्लास कमांडर स्वयं अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे।

(झ) अन्तःकक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में किसी भी संदेह की स्थिति में, क्लास कमांडर को पाठ्यक्रम निदेशक से संदेह को स्पष्ट करना चाहिए।

12. पुस्तकालय

पुलिस अकादमी के पुस्तकालय में पाठ्यक्रम के अनुरूप आवश्यक पुस्तकों के अतिरिक्त पर्याप्त संख्या में विविध पुस्तकों, समाचार पत्र, पत्रिकाओं की व्यवस्था है, जिसका सदुपयोग प्रशिक्षुगण समय-समय पर करेंगे।

13. मॉडल पुलिस स्टेशन

पुलिस अकादमी में एक मॉडल पुलिस स्टेशन बनाया गया है, जिसमें पुलिस थाने में प्रयोग में आने वाले सभी रजिस्टर एवं फार्म तथा अन्य विवरण अभिलेख एवं उपकरण रखे हैं। प्रशिक्षुगण इसका पूरा सदुपयोग करें।

14. सूचना पट्ट

पुलिस अकादमी में प्रशिक्षुओं के क्लास रूम के पास, छात्रावास एवं ऑफिसर्स मैस में एक सूचना पट्ट की व्यवस्था है, जिसमें प्रशिक्षुओ से संबंधित सूचनायें तथा आवश्यक आदेश-निर्देश चस्पा किये जायेंगे।

15. सुझाव एवं शिकायती पत्र पेटिका

पुलिस अकादमी में राजपत्रित छात्रावास में एक सुझाव एवं शिकायती पत्र पेटिका रखी जायेगी, जिसमें प्राप्त सुझाव एवं शिकायतों का निराकरण संस्था के प्रभारी द्वारा किया जायेगा।

16. मासिक सम्मेलन

प्रत्येक माह सम्मेलन आयोजित किया जायेगा, जिसमें प्रशिक्षुओं के कल्याण संबंधी वार्ता होगी एवं प्रशिक्षुओं से इनके संबंध में सुझाव/शिकायतों की जानकारी प्राप्त की जायेगी।

17. परिधान

डॉ0 भीमराव आम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अकादमी मुरादबाद में प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक, आधारभूत प्रशिक्षण कोर्स में अन्तः कक्षीय / बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण हेतु निम्नानुसार ड्रेस कोड निर्धारित किया जाता है-

I- बाह्यकक्षीय पुलिस उपा0 प्रशिक्षु आई0टी0 परिधान

दिवस	शीतकालीन आई0टी परिधान	ग्रीष्मकालीन आई0टी परिधान
सोमवार से शनिवार	वूलेन खाकी पैन्ट, खाकी शर्ट फुल बाजू, खाकी जर्सी, खाकी मोजा, ब्राउन लैदर एंकिल बूट्स (नौ जोड़े छेद वाला), चमड़े की लाल बेल्ट, ब्लू बैरेट कैप, ब्लू डोरी, एक स्टार, नाम पट्टिका मय ब्लड ग्रुप (हिन्दी देवनागरी लिपि में), नेम प्लेट के ऊपर इन्सिग्निया चैड़/मेटल, बाये बाजू पर पुलिस कलर चिन्ह।	खाकी पैन्ट, खाकी शर्ट फुल बाजू खाकी मोजा, ब्राउन लैदर एंकिल बूट्स (नौ जोड़े छेद वाला), चमड़े की लाल बेल्ट, ब्लू बैरेट कैप, ब्लू डोरी, एक स्टार, नाम पट्टिका मय ब्लड ग्रुप (हिन्दी देवनागरी लिपि में), नेम प्लेट के ऊपर इन्सिग्निया थैड़/मेटल, बाये बाजू पर पुलिस कलर चिन्ह।

II- अंतः कक्षीय पुलिस उपा0 प्रशिक्षु परिधान

दिवस	शीतकालीन आई0टी परिधान	ग्रीष्मकालीन आई0टी परिधान
सोमवार से शनिवार	खाकी पैन्ट, अंगोला शर्ट फुल बाजू, खाकी मोजा, ब्राउन लैदर ऑक्सफोर्ड बूट्स (पाँच जोड़े छेद वाला), चमड़े की लाल बेल्ट, ब्लू बैरेट कैप, ब्लू डोरी, एक स्टार, नाम पट्टिका गय ब्लड ग्रुप (हिन्दी देवनागरी लिपि में), नेम प्लेट के ऊपर इन्सिग्निया थैड़/मेटल, बाये बाजू पर पुलिस कलर चिन्ह।	खाकी पैन्ट, खाकी शर्ट फुल बाजू, सिली हुई (पहनते समय हाफ बाजू फोल्ड) खाकी मोजा, ब्राउन लैदर ऑक्सफोर्ड बूट्स (पाँच जोड़े छेद वाला), चमड़े की लाल बेल्ट, ब्लू बैरेट कैप, ब्लू डोरी, एक स्टार, नाम पट्टिका मय ब्लड ग्रुप (हिन्दी देवनागरी लिपि में), नेम प्लेट के ऊपर इन्सिग्निया चैड/मेटल, बाये बाजू पर पुलिस कलर चिन्ह।

III- कार्य दिवस शनिवार अतः कक्षीय प्रशिक्षु पुलिस उपा0 परिधान

दिवस	शीतकालीन आई0टी परिधान	ग्रीष्मकालीन आई0टी परिधान
शनिवार (कार्य दिवस)	सफेद शर्ट, ग्रे-पेन्ट, नेवी ब्लू ब्लेजर, सर्विस टाई, ब्लैक शू व ब्लैक मोजा	सफेद शर्ट, ग्रे-पेन्ट, सर्विस टाई, ब्लैक शू व ब्लैक मोजा

IV- पी0टी0 ड्रेस पुरूष प्रशिक्षु पुलिस उपा0 प्रशिक्षु

दिवस	शीतकालीन आई0टी परिधान	ग्रीष्मकालीन आई0टी परिधान
सोमवार से शनिवार	सफेद टी शर्ट, सफेद लोअर, सफेद स्पोर्ट शूज, सफेद मोजा, खाकी वुलेन जर्सी।	सफेद टी शर्ट, सफेद लोअर, सफेद स्पोर्ट शूज सफेद मोजा।

V- पी0टी0 ड्रेस महिला प्रशिक्षु पुलिस उपा0 प्रशिक्षु

दिवस	शीतकालीन आई0टी परिधान	ग्रीष्मकालीन आई0टी परिधान
सोमवार से शनिवार	सफेद टी शर्ट, डार्क ब्लू लोअर, सफेद स्पोर्ट शूज, सफेद मोजा, खाकी वुलेन जर्सी।	सफेद टी शर्ट, डार्क ब्लू लोअर, सफेद स्पोर्ट शूज सफेद मोजा।

VI- घुड़सवारी ड्रेस कोड पुलिस उपा0 प्रशिक्षु

दिवस	शीतकालीन आई0टी परिधान	ग्रीष्मकालीन आई0टी परिधान
सोमवार से शनिवार	खाकी बिचीस, खाकी शर्ट फुल बाजू, खाकी जर्सी, खाकी मोजा, ब्राउन लैदर राइडिंग बूट्स, चमड़े की लाल बेल्ट, राइडिंग हेलमेट, ब्लू डोरी, एक स्टार, नाम पट्टिका भय ब्लड ग्रुप (हिन्दी देवनागरी लिपि में), इंसिग्निया श्रैड़ / मेटल, बाये बाजू पर पुलिस कलर चिन्ह।	खाकी ब्रिचीस, खाकी शर्ट फुल बाजू, सिली हुई (पहनते समय हाफ बाजू (T फोल्ड) खाकी मोजा, ब्राउन लैदर राइडिंग यूट्स, चमड़े की लाल बेल्ट, राइडिंग हेलमेट, ब्लू डोरी, एक स्टार, नाम पट्टिका मय ब्लड ग्रुप (हिन्दी देवनागरी लिपि में), इंसिग्निया श्रैड़ / मेटल, बाये बाजू पर पुलिस कलर चिन्ह।

VII- फील्ड क्राफ्ट टैक्टिस / जंगल ट्रेनिंग ड्रेस कोड पुलिस उपा0 प्रशिक्षु

शीतकालीन / ग्रीष्मकालीन परिधान
डांगरी फुल बाजू, बेल्ट कॉटन हुक वाली (ब्लैक कलर), मंकी कैप (कलर डांगरी), बीहड़ बूट्स (जंगल शूज), खाकी मोजा, सीटी जेब में रहेगी, एक स्टार ब्लैक धागे की कढ़ाई वाला (फ्लेप में), नाम पट्टिका मय ब्लड ग्रुप कढ़ाई वाली (हिन्दी देवनागरी लिपि में)

VIII- स्वीमिंग ड्रेस कोड पुलिस उपा0 प्रशिक्षु

स्वीमिंग कॉस्टयूम, स्वीमिंग गौगल (चश्मा), स्वीमिंग कैप (टोपी) (पुरूष / महिला)

IX- मैस नाइट (सेरेमोनियम) ड्रेस कोड पुलिस उपा0 प्रशिक्षु

शीतकालीन परिधान	ग्रीष्मकालीन परिधान
काली पैन्ट सहित काला ऊंचा बन्द गले का कोट, सादा काले चमड़े का जूता समतल नोक वाला (पॉच जोड़े छेद वाला)	काली पैन्ट, सफेद ऊंचा बन्द गले का कोट, सादा काले चमड़े का जूता समतल नोक वाला (पॉच जोड़े छेद वाला)

18. खेलकूद

प्रत्येक प्रशिक्षु को प्रशिक्षण अवधि में खेलकूद में भाग लेना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण के प्रभारी अधिकारी खेलकूद के लिए हैण्डबाल, बॉस्केटबाल, बॉलीबाल, फुटबॉल तथा तैराकी आदि हेतु व्यवस्था करेंगे।

19. प्रशिक्षण पंजिका (Training Reports)

पुलिस अकादमी में आगमन करते ही प्रत्येक प्रशिक्षु एक रजिस्टर बनायेंगे जिसे प्रशिक्षण पंजिका (Training Reports) कहा जायेगा। इस रजिस्टर में वह प्रतिदिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का सारांश दिनाँक सहित अंकित करेगा। इस रजिस्टर को पाठ्यक्रम निदेशक द्वारा प्रति सप्ताह देखकर टिप्पणी दी जायेगी। जनपदीय व्यवहारिक प्रशिक्षण, संवेदीकरण कार्यक्रम, अल्पावधि कोर्स (कैप्सूल कोर्स) इत्यादि का विवरण भी इसमें दिनाँक सहित अंकित किया जायेगा। जनपद में व्यवहारिक प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक / महानिरीक्षक एवं जोनल पुलिस महानिरीक्षक / अपर पुलिस महानिदेशक भी करते रहेंगे। व्यवहारिक प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिक्षु परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक / महानिरीक्षक साक्षात्कार तथा प्रशिक्षण पंजिका (Training Register) के आधार पर निर्धारित अंक 25 में से प्रशिक्षु को अंक देंगें।

20. <u>अनुपस्थिति एवं अवकाश</u>

(अ) आधारभूत प्रशिक्षण की अवधि में किसी भी प्रशिक्षणार्थी को सामान्य रूप से कोई आकस्मिक अवकाश नहीं दिया जायेगा। अपरिहार्य परिस्थिति में निदेशक द्वारा आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। तीन दिन या उससे अधिक लगातार अवकाश पडने पर सामूहिक अवकाश दिये जाने का अधिकार निदेशक को है।

(ब) प्रशिक्षुओं को केन्द्रीय पुलिस चिकित्सालय/जिला चिकित्सालय, मुरादाबाद अथवा जनपद के किसी राजकीय चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी द्वारा दिये गये विश्राम अवकाश को देय अवकाश में परिवर्तित किया जायेगा।

(स) यदि कोई पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षु प्रशिक्षण काल की अवधि में अनावश्यक या अनुचित रूप से अनुपस्थित होगा अथवा बिना अनुमति के प्रशिक्षण केन्द्र से अनुपस्थित होगा या अवकाश पर जाने पर बिना उचित या अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित होगा एवं झूठे आधार पर अवकाश प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का प्रयास करेगा तो ऐसे प्रशिक्षु के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (दण्ड एवं अपील) नियमावली-*1999* के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(द) पूरे प्रशिक्षण काल में 45 दिवस से अधिक किसी भी कारणवश अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थी को अन्तिम परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। ऐसे प्रशिक्षु की परीक्षा अनुत्तीर्ण प्रशिक्षुओं के साथ तीन माह के पूरक प्रशिक्षण के उपरान्त आयोजित परीक्षा के समय ली जायेगी। किसी भी कारण से यदि किसी प्रशिक्षु की प्रशिक्षण से अनुपस्थित अवधि 90 दिवस या उससे अधिक होती है तो उसे अगले प्रशिक्षण सत्र में शामिल होकर पूरा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

(य) प्रशिक्षण अवधि में यदि कोई प्रशिक्षु महत्वपूर्ण खेलों में प्रतिभाग करने अथवा खेलो के अभ्यास हेतु अधिकृत / स्वीकृत प्रशिक्षण कैम्प के निमित्त नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर अकादमी प्रशिक्षण से विरत रहता है तो ऐसी स्थिति में उक्त प्रशिक्षण से विरत अवधि को यद्यपि उपरोक्त बिन्दु 20 (द) की गणना में नहीं जोड़ा जाएगा परन्तु प्रशिक्षण से विरत रहने के कारण यदि किसी भी विषय के 15 प्रतिशत से अधिक कालांश में अनुपस्थिति हो जाती है तो उस विषय की परीक्षा 15 प्रतिशत से अधिक (miss) छूटे हुए कालांशों का अनुपूरक प्रशिक्षण के पश्चात् ही ली जाएगी।

(र) प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षु पुलिस अधिकारी द्वारा अनुशासनहीनता के प्रकरणों में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली**-1999** के विहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

21. <u>महिला प्रशिक्षु द्वारा गर्भ धारण</u>

(1) महिला प्रशिक्षु द्वारा इस बात के लिये समस्त सम्भव सावधानी एवं सतर्कता बरतनी चाहिए कि वह प्रशिक्षण के दौरान गर्भ धारण न करें। यदि वह गर्भवती है तो इसकी सूचना प्रशिक्षण केन्द्र के प्रमुख को तत्काल देनी होगी

(2) प्रशिक्षण केन्द्र के प्रमुख ऐसी महिला प्रशिक्षु को प्रशिक्षण जारी न रखकर अनुमन्य अवकाश / विश्राम स्वीकृत करायेंगे।

(3) गर्भवती महिलाओं को शेष प्रशिक्षण उनके प्रसूति के एक वर्ष बाद आगामी प्रशिक्षण सत्र के साथ कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी।

(4) यदि किसी महिला को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के एक वर्ष के अन्दर प्रसव हुआ है तो प्रशिक्षण में शामिल होने के पूर्व उसे मुख्य चिकित्साधिकारी मुरादाबाद से प्रशिक्षण हेतु फिट होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

22. <u>श्रमदान, साज सज्जा एवं वृक्षारोपण</u>

प्रशिक्षुओं से श्रमदान एवं वृक्षारोपण का कार्य केवल बृहस्पतिवार एवं रविवार को पूर्वान्ह में ही कराया जा सकेगा, जिसमें उनसे परेड ग्राउण्ड, आफिसर्स मेस व संस्था परिसर आदि की सफाई, वृक्षारोपण व रख-रखाव का कार्य कराया जा सकेगा।

कार्य दिवसों में बाह्य एवं अंत: विषयों के कालाशों के दौरान कोई श्रमदान एवं वृक्षारोपण किसी भी दशा में नहीं कराया जायेगा। किसी भी अधिकारी के आवासीय परिसर इत्यादि में श्रमदान नही करवाया जायेगा।

23. <u>पर्यवेक्षण</u>

प्रशिक्षुओ को प्रशिक्षण, निर्धारित पाठयक्रम के अनुसार निदेशक अकादमी के निकट पर्यवेक्षण में प्रदान किया जायेगा। निदेशक द्वारा चयनित एक राजपत्रित अधिकारी प्रशिक्षण का सत्र निदेशक होगा। प्रत्येक सप्ताह में एक पीरियड ट्यूटोरियल होगा। प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न टोलियों से लेकर एक क्लास बनाई जायेगी। एक क्लास टीचर नियुक्त होगें जो प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी का ट्यूटोरियल लेंगे और प्रशिक्षणार्थी की प्रगति से निदेशक को अवगत करायेंगे। आन्तरिक विषयों के प्रशिक्षण को पाठ्यक्रम के

अनुसार सम्पन्न कराने हेतु प्रभारी इण्डोर उत्तरदायी होंगे तथा बाह्य विषयों के प्रशिक्षण को पाठ्यक्रम के अनुसार सम्पन्न कराने हेतु सैन्य सहायक उत्तरदायी होंगे।

24. आन्तरिक विषय के प्रशिक्षकों के लिए निर्देश

1- प्रशिक्षुओं के आत्म सम्मान को चोट न पहुँचने पाये। उन्हें स्वयं अपना तथा दूसरे का सम्मान करना सिखाया जाये। आवश्यक है कि उनमें हीन भावना पनपने न पाये और यदि पूर्व से ऐसी भावना हो तो उसे दूर किया जाये। एक आत्म सम्मान वाला पुलिस उपाधीक्षक ही नागरिकों से सम्मान पूर्वक व्यवहार करने में सक्षम होगा।

2- प्रशिक्षुओं में अपने कृत्यों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने का साहस पैदा किया जाये। हानि की कीमत पर भी असत्य का सहारा न लेने की भावना जागृत की जाये।

3- प्रशिक्षुओं के अन्दर प्रजातान्त्रिक मूल्यों, समता, बन्धुत्व तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता की भावना जागृत करना प्रशिक्षकों का प्रमुख दायित्व है। उन्हें प्रशिक्षित किया जाये कि अशिष्ट/ उद्दण्ड व्यवहार करने वाले या सामान्य तथा सभ्य समाज में अस्वीकार्य भाषा एवं आचरण का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को भी बिना उत्तेजित हुये शिष्ट शब्दों से वार्ता करके शान्त करने का कौशल उनमें आ जाये।

4- प्रशिक्षुओं को जनता के व्यक्तियों से सम्मानजनक व्यवहार का बोध एवं अभ्यास कराया जाये चाहे वह व्यक्ति पीड़ित हो, अथवा अभियुक्त हो, अथवा घायल हो, अथवा बन्दी हो। जिन व्यक्तियों के ऊपर बल प्रयोग किया जाये उनके साथ भी शिष्ट एवं सम्मानजनक व्यवहार किया जाये। घायलों / शवों को उठाते / परिवहन करते समय व्यक्ति की गरिमा का विशेष ध्यान रखा जाये।

5- अपनी गलती होने पर क्षमा प्रार्थना करना/ खेद व्यक्त करना आवश्यक है। नागरिकों को असुविधा होने पर भी क्षमा मांगना उच्चकोटि के शिष्टाचार का द्योतक है भले ही हमारी कोई गलती न हो। उदाहरणार्थ- तलाशी लेने से पूर्व या गिरफ्तारी करते समय "क्षमा करियेगा / माफ करियेगा" इत्यादि सम्बोधन उचित है। नागरिकों को उनके द्वारा दिये गये किसी भी सहयोग के लिये धन्यवाद अवश्य दिया जाना चाहिये। इसका बोध तथा अभ्यास प्रशिक्षुओं को कराया जाये।

6- संस्था प्रमुख प्रत्येक 15 दिवस का टाइम टेबिल (समय सारणी) तैयार कराकर जारी करेंगे।

7- प्रशिक्षण में आधुनिक प्रशिक्षण उपकरणों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाये।

8- प्रत्येक कालांश के लिए उच्चकोटि (प्रमाणित) पुस्तक से पाठ पहले ही तैयार कर लें। जो भी प्रशिक्षक अथवा अतिथि प्रवक्ता कोई भी कक्षा लेंगे, उसके पूर्व, क्या पढ़ाने जा रहे हैं, उसका एक सारांश बनाकर इण्डोर प्रभारी को पहले ही उपलब्ध करा देंगे, जिससे कि प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम के अनुसार ही चले तथा प्रत्येक कालांश में क्या पढ़ाया जाना है, वह विषय अवश्य पढ़ा दिया जाए।

9- विषय वस्तु स्लाइड व पिक्चर पर तैयार करें एवं पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रस्तुत करें।

10- प्रशिक्षणार्थी को व्यवहारिक ज्ञान, सुरक्षा ड्यूटी, घटनास्थल निरीक्षण, विवेचना आदि कराने से पूर्व मौलिक सिद्धांत समझायें।

11- जिन विषयों में प्रयोगात्मक प्रशिक्षण या assignment(कार्य आवंटित)कराया जाना है उन विषयों को संकाय अधिकारी/पुलिस अधिकारी प्रत्येक विषय (Topic) की सैद्धांतिक व्याख्या 10 मिनट से अधिक नहीं करेंगे। शेष 30 मिनट में व्यवहारिक प्रशिक्षण (Practical work) कराते हुए प्रशिक्षुओं को व्यवहारिक अभ्यास करायेंगे तथा प्रत्येक प्रशिक्षु के व्यवहारिक प्रशिक्षण का मूल्यांकन सतत रूप से करते रहेंगे एवं तदनुसार व्यवहारिक प्रशिक्षण में पाये जाने वाली कमियों को दूर करेंगे। प्रयोगात्मक /assignment(कार्य आवंटित)कार्य का अभ्यास सैद्धान्तिक पाठ के उपरान्त प्रारम्भ कर दिया जाये। लम्बे समय तक अभ्यास के उपरान्त लगभग 10 माह के प्रशिक्षण के उपरान्त ही अन्तिम रूप से मूल्यांकन करके अंक दिये जायेंगे। प्रयोगात्मक /assignment (कार्य आवंटित)कार्य का मूल्यांकन जिस अभिलेख के आधार पर किया जाये उसे एक वर्ष तक सुरक्षित रखा जाय।

12- ऐसे समस्त प्रयोगात्मक अभ्यास, जिनमें प्रशिक्षु द्वारा कृत कार्यवाही, हरकत, भाव भंगिमा, भाषा, व्यवहारिकता इत्यादि मुख्य हैं, उनकी वीडियोग्राफी की जाये। बाद में इसे दिखाकर उनकी गलतियों को सुधारा जाये।

13- ऐसे प्रश्न तैयार किए जायें, जिसके उत्तर में पाठ के महत्वपूर्ण अंश सम्मिलित हों।

14- प्रत्येक विषय की पाठ्य सामग्री हेतु प्रशिक्षणार्थी का मार्गदर्शन करें।

15- सही वर्दी धारण करें, जिससे फुर्तीलापन प्रदर्शित हो एवं उसका रख-रखाव भी साफ-सुथरा हो।

16- प्रत्येक कालांश में प्रश्न पूछने के लिए कुछ समय दें अर्थात् संदेहों को दूर करें।

17- कमजोर प्रशिक्षणार्थियों पर विशेष ध्यान दें तथा तेजस्वी प्रशिक्षणार्थियों का उत्साह बढ़ायें।

18- कोई भी प्रशिक्षक / अतिथि प्रवक्ता कक्षा में न तो मोबाईल लेकर जाएंगे और न ही मोबाईल पर कोई वार्ता करेंगे। न ही किसी प्रशिक्षु को कक्षा में मोबाईल लेकर जाने की अनुमति होगी। मोबाईल को साईलेन्ट मोड पर करके रखने की अनुमति भी कतई नही होगी।

19- कोई भी प्रशिक्षु कक्षा में गुटखा, पान मसाला, पान इत्यादि का सेवन किसी भी दशा में नही करेगा।

20- कोई भी प्रशिक्षु क्लास छोड़कर, क्लास के समय किसी भी दशा में बाहर नही घूमेगा तथा यदि घूमता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

21- प्रशिक्षुओं में आत्मसम्मान की भावना जाग्रत की जायेगी। उनके आत्म सम्मान को ठेस न पहुँचायी जाये।

22- न्यायिक अधिकारियों को भी विशिष्ट विषयों पर वार्ता हेतु बुलाया जाये।

23- 03 माह के आधारभूत प्रशिक्षण के उपरान्त प्रशिक्षुओं को कारागार का भ्रमण कराया जाय ताकि कैदियों के व्यवस्थापन एवं प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त कारागार के अधीक्षकों/ पुलिस उपमहानिरीक्षकों को कारागार एवं सुधार प्रशासन तथा तत्संबंधी अधिनियम/ नियम पढ़ाने हेतु आमंत्रित किया जाय ताकि वह कारागार की प्रबन्धन एवं प्रशासन व्यवस्था के संबंध में जानकारी दें सकें। इन्हें पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की सूचना पर्याप्त समय पूर्व दे दी जाये।

26. <u>बाह्य विषयों के प्रशिक्षकों के लिए निर्देश</u>:-

1. प्रशिक्षुओं के आत्म सम्मान को चोट न पहुँचने पाये। उन्हें एक अपना तथा दूसरे का सम्मान करना सिखाया जाये। आवश्यक है कि उनमें हीन भावना न पनपने पाये और यदि पूर्व से ऐसी भावना हो तो उसे निकाला जाये। एक आत्म सम्मान वाला पुलिस अधिकारी ही नागरिकों से सम्मान पूर्व व्यवहार करेगा।
2. प्रशिक्षुओं में अपने कृत्यों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने का साहस पैदा किया जाये। हानि की कीमत पर भी असत्य का सहारा न लेने की भावना जागृत की जाये।
3. प्रशिक्षुओं के अन्दर प्रजातान्त्रिक मूल्यों, समता, बन्धुत्व तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता की भावना जागृत करना प्रशिक्षकों का प्रमुख दायित्व है। उन्हें प्रषिक्षित किया जाये कि अशिष्ट / उद्दण्ड व्यवहार करने वाले या सामान्य तथा सभ्य समाज में अस्वीकार्य भाषा एवं आचरण का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को भी बिना उत्तेजित हुये शिष्ट शब्दों से वार्ता करके शान्त करने का कौशल उनमें आ जाये।
4. प्रशिक्षुओं को व्यक्तियों से सम्मानजनक व्यवहार का बोध एवं अभ्यास कराया जाये चाहे वह व्यक्ति पीड़ित हो, अथवा अभियुक्त हो, अथवा घायल हो, अथवा बन्दी हो। जिन व्यक्तियों के ऊपर बल प्रयोग किया जाये उनके साथ भी शिष्ट एवं सम्मानजनक व्यवहार किया जाये। घायलों / शवों को उठाते / परिवहन करते समय व्यक्ति की गरिमा का विशेष ध्यान रखा जाये।
5. अपनी गलती होने पर क्षमा प्रार्थना करना/ खेद व्यक्त करना आवश्यक है। नागरिकों को असुविधा होने पर भी क्षमा मांगना उच्चकोटि के शिष्टाचार का द्योतक है। भले ही हमारी कोई गलती न हो। उदाहरणार्थ- तलाशी लेने से पूर्व या गिरफ्तारी करते समय क्षमा करियेगा/ माफ करियेगा इत्यादि सम्बोधन उचित है। नागरिकों को उनके द्वारा दिये गये किसी भी सहयोग के लिये धन्यवाद अवश्य दिया जाना चाहिये। इसका बोध तथा अभ्यास प्रशिक्षुओं को कराया जाये।

6. सही वर्दी धारण करें, जिससे फुर्तीलापन (स्मार्टनेस) प्रदर्शित हो सके एवं उसका रख-रखाव साफ-सुथरा हो।
7. पाठ्यक्रम को पढें तथा उसे निर्धारित अवधि में मोटे तौर पर विभाजित करें।
8. पाठ को सुविधाजनक भागों (कालाँशो) में विभाजित करें।
9. विषय के अनुसार हिन्दी में व्याख्या करें।
10. अपनी व्यक्तिगत Body movements (हाव-भाव) द्वारा नमूना दें।
11. विभिन्न हरकतों को एक-एक करके प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से कराया जाय, ताकि उसको पूरा ज्ञान हो सके।
12. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी की त्रुटियों को सही करें। अनावश्यक टीका-टिप्पणी न करें, जब तक कि प्रत्येक प्रषिक्षणार्थी उससे भिज्ञ न हो जाये कि सही क्या है, तब तक अतिरिक्त समय में विशेष कालांश में प्रशिक्षित करें।
13. फील्ड क्राफ्ट, एवं टैक्टिक्स तथा अन्य व्यवहारिक/ प्रयोगात्मक कार्य के अभ्यास गहनता से कराकर दक्षता पैदा की जाये। अभ्यास की वीडियो ग्राफी की जाये ताकि प्रशिक्षुओं को उसे दिखाकर उनकी गलतियों को सुधारा जा सके।
14. किसी प्रशिक्षणार्थी को खराब हरकत करने की अनुमति कभी भी न दें।
15. वर्ड ऑफ कमाण्ड तेज व साफ शब्दों में दें।
16. शारीरिक प्रशिक्षण के पाठ इस प्रकार सिखायें, जो उसके पूरे जीवन के लिए लाभकारी हो।
17. खेल, तैराकी, एथलेटिक व कठिन बाधाओं को पार करने में रूचि उत्पन्न करायें।
18. प्रशिक्षणार्थियो की रूचि के अनुसार जूडो/कुश्ती/बाक्सिंग/कराटे आदि विभाजित कर टोलियों में आयोजित करायें।
19. बाह्य विषयों के सैद्वान्तिक पक्ष को विद्यालय में क्लास रूम में दृश्य-श्रृव्य एवं अन्य प्रशिक्षण तकनीकों के माध्यम से समझाया जाये। वीडियो प्ले-बैक भी क्लास रूम में कराया जाये। यह परम्परा बन्द होनी चाहिये कि बाह्य विषयों का सैद्वान्तिक अंश भी ग्राउण्ड पर पेड़ के नीचे पढ़ाया जाये।
20. बाह्य विषयों के प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम के अनुसार सम्पन्न कराने हेतु सैन्य सहायक उत्तरदायी होंगे।

27. <u>प्रशिक्षण के दौरान शांति-व्यवस्था ड्यूटी</u>

28. पुलिस महानिदेशक मुख्यालय उत्तर प्रदेश, के लिखित आदेश के बिना प्रशिक्षुओं को शांति-व्यवस्था ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा।

29. प्रत्येक प्रशिक्षु को अन्त: प्रशिक्षण एवं बाह्य प्रशिक्षण के प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

30. निदेशक समय-समय पर प्रशिक्षुओं से संवाद करेंगे तथा उनका ख्याति प्राप्त उपलब्ध प्रतिष्ठित अतिथि प्रवक्ताओं को बुलाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

31. प्रशिक्षणर्थियों को एक निर्धारित प्रारूप में फीडबैक फार्म उपलब्ध कराया जायेगा जो अतिथि प्रवक्ता, विशिष्ट वार्ताकार एवं विषय विशेषज्ञ के व्याख्यान के उपरान्त उन्हें भर कर सम्बन्धित को उपलब्ध करायेंगे।

32. निदेशक मीडिया जगत के ख्याति प्राप्त पत्रकार गणों (प्रिन्ट व इलेक्ट्रानिक) को मीडिया इन्टरफेस एवं जन सूचना विषय पर व्याख्यान देने हेतु आमन्त्रित करेंगे। प्रशिक्षणर्थियों को पुलिस एवं मीडिया के संवाद के संबंध में परिबोध करायेंगे।

33- कालाँश विवरण

प्रशिक्षण की अवधि **12** माह, **15** दिवस	380 **दिवस**
रविवार अवकाश	54 **दिवस**
द्वितीय शनिवार	13 **दिवस**
राजपत्रित अवकाश	**24 दिवस**
संवेदीकरण कार्यक्रम एवं कैप्सूल कोर्स तथा परीक्षा व साक्षात्कार	**39 दिवस**
प्रशिक्षण के लिये उपलब्ध कुल दिवस	**250 दिवस**
(क)- अन्त:कक्ष प्रशिक्षण	
कालाँश प्रतिदिन	04
कुल कालाँश की संख्या	**250 X 4 = 1000**
एक कालाँश की अवधि	40 **मिनट**
(ख)- बाहय प्रशिक्षण	
कालाँश प्रतिदिन	04
कुल कालाँश की संख्या	**250 X 4 = 1000**
आंशिक कार्य दिवस **(**बृहस्पतिवार**) 54× 2**	**108**
प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कुल कालांश की संख्या	**892**
एक कालाँश की अवधि	40 **मिनट**

नोट - **(01)** लम्बी दूरी **(10-15** कि0मी0**)** की क्रॉसकंट्री रेस द्वितीय शनिवार की प्रात: कराई जायेगी।

(02) आवश्यकता पड़ने पर तैराकी का प्रशिक्षण **/** अभ्यास बृहस्पतिवार की प्रात:काल भी कराया जा सकता है।

(03) मौसम को देखते हुए पाठ्यक्रम में स्थानीय स्तर पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(04) निदेशक, डा0 भीमराव आम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अकादमी, मुरादाबाद अपने विवेकानुसार प्रशिक्षणार्थियों को समय-समय पर योगाभ्यास मौसम के अनुसार करायेंगे।

34- प्रशिक्षण कार्यक्रम एक दृष्टि में :-

क्र0 सं0	**विषय**	**कालाँश**	**पूर्णांक**
1	**अन्त: कक्ष कालाँश**	**1000**	1500
2	**बाह्य कक्ष कालाँश**	**892**	900
3	**निदेशक द्वारा प्रदत्त अंक**	-	100
	कुल	**-**	**2500**

35- सेमिस्टर अनुसार अन्तिम परीक्षा के विषयों, अंकों एवं कालाँशों का विवरण

अ- आन्तरिक विषय

क्र.स.	विषय	कालाँश			अंक		
		सैद्धान्तिक	प्रयोगात्मक	योग	सैद्धान्तिक	प्रयोगात्मक	योग
	प्रथम सेमिस्टर -						
1	आधुनिक भारत में पुलिस का स्वरूप/राज्य पुलिस व्यवस्था एवं उसका स्वरूप	30	0	30	75	0	75
2	भारतीय संविधान	30	0	30	75	0	75
3	लैंगिक न्याय एवं मानवाधिकार	30	0	30	50	0	50
4	अपराधशास्त्र, दण्ड विज्ञान एवं परिपीड़ा शास्त्र	30	0	30	50	0	50
5	मानचित्र पठन, प्लॉन ड्राइंग, रेडियो संचार तथा प्राथमिक चिकित्सा	40	20	60	50	50	100
6	पुलिस रेगुलेशन	60	0	60	100	0	100
7	भारतीय न्याय संहिता 2023	80	0	80	100	0	100
8	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023	80	10	90	75	25	100
9	भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023	50	0	50	50	0	50
10	विधि विज्ञान एवं विधि चिकित्साशास्त्र	40	20	60	50	25	75
	कम्प्यूटर						
	द्वितीय सेमिस्टर :-						
11	थाना प्रबन्धन एवं जी0आर0पी0	24	06	30	25	25	50
12	अपराधों की विवेचना एवं पर्यवेक्षण	55	25	80	50	50	100
13	न्यायशास्त्र, न्यायालय व्यवस्था एवं अभियोगों का विचारण	30	0	30	50	0	50
14	विविध अधिनियम	60	10	70	50	25	75
15	कानून व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था की स्थापना, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन एवं मोटर तकनीक तथा यातायात प्रबन्धन	30	0	30	75	0	75
16	पत्र व्यवहार, अधिष्ठान एवं पुलिस लाइन प्रबन्धन	35	10	45	75	25	100
17	वित्तीय नियम, बजट तथा लेखा	30	0	30	50	0	50
18	प्रबंध के सिद्धांत एवं मानव मनोविज्ञान	40	10	50	50	25	75
19	अन्तर्विभागीय समन्वय एवं सामंजस्य	25	0	25	50	0	50
20	कम्प्यूटर	60	30	90	60	40	100
	कुल योग	**849**	**151**	**1000**	**1210**	**290**	**1500**

नोट- कम्प्यूटर प्रशिक्षण के कालाँश दोनों सेमेस्टर में चलाये जायेंगे किन्तु परीक्षा केवल द्वितीय सेमेस्टर में होगी।

ब- <u>बाह्य विषय</u>

क्रं0सं0	विषय	कालाँश	अंक
1.	पदाति प्रशिक्षण	50	100
2.	शस्त्र प्रशिक्षण	50	90
3.	शस्त्र फायरिंग	22	60
4.	शारीरिक प्रशिक्षण / यू0ए0सी0 / योगा	620	400
5.	यातायात नियंत्रण ड्रिल	10	20
6.	भीड नियंत्रण (बलवा) ड्रिल	20	20
7.	फील्ड क्राफ्ट टैक्टिक्स एवं जंगल ट्रेनिंग	30	75
8.	अश्वारोहण प्रशिक्षण	30	75
9.	मोटर ड्राइविंग	30	30
10.	तैराकी	30	30
	योग	**892**	**900**

स- <u>संवेदीकरण कार्यक्रम</u> :-

संवेदीकरण हेतु संस्थाओं का भ्रमण-

1	सी0बी0आई0 अकादमी गाजियाबाद	01 दिन (04 माह बाद)
2	केन्द्रीय एवं जिला कारागार	01 दिन (04 माह बाद)
3	केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल यथा- सी0आर0पी0एफ0, क्षेत्रीय मुख्यालयों का भ्रमण	01 दिन (04 माह बाद)
4	एस0एस0बी0- फरंटियर मुख्यालय लखनऊ एवं बॉर्डर की इकाईयाँ	02 दिन (04 माह बाद)
5	सेना के साथ सम्बद्धता	06 दिन (अन्तिम परीक्षा के बाद)
6	भारत भ्रमण	10 दिन (कोर्स के लगभग मध्य में)

द- <u>कैपसूल कोर्स</u>

1	उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी (उपाम), लखनऊ	03 दिन (04 माह बाद)
2	इन्स्टीट्यूट आफ ज्यूडीशियल ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, लखनऊ	03 दिन (04 माह बाद)
3	Demonstration Exercises - Urban intervention, Hostage Rescue (बन्धकों की विमुक्ति)-रेस्क्यू की परिभाषाए रेस्क्यू के प्रकार, उदाहरण, रेस्क्यू की सामान्य तकनीक, रेस्क्यू के विभिन्न चरण तथा ऑपरेशन, रेस्क्यू की महत्ता, रेस्क्यू में प्रयोग किये जाने वाले उपकरण	02 दिवस

36. प्रस्तर-33 एवं 35 में दिये गये विषय विवरण के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। अन्त: विषयों के पाठयक्रम की विस्तृत विषय वस्तु परिशिष्ट-01 तथा बाहय विषयों के पाठयक्रम की विस्तृत विषय वस्तु परिशिष्ट-02 में दी गई है।

37. अकादमी में प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षुओं को विभिन्न सम-सामयिक विषयों पर संवेदीकरण एवं कैपसूल मॉड्यूल कराये जायेंगे। इनका विवरण प्रस्तर-35 (स) एवं (द) में दिया गया है।

38. अन्त: एवं बाह्य प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरान्त प्रशिक्षणर्थियों को 05 माह की अवधि के लिये पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा नियत जनपदों में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा। व्यवहारिक प्रशिक्षण की विस्तृत रूपरेखा परिशिष्ट-04 में दी गयी है।

39. 05 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त प्रशिक्षु निदेशक द्वारा निर्धारित अवधि (1 से 2 सप्ताह) के लिये डीब्रीफ्रिंग हेतु पुन: डा0 भीमराव आम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अकादमी मुरादाबाद में आयेंगे। इस दौरान उनके द्वारा व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण पर प्रस्तुतीकरण किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान उनके द्वारा जनपदों में हो रहे अच्छे कार्य (good practices) के बारे में भी अपने अनुभव के बारे में बताया जायेगा। इस अवधि के समाप्ति पर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा उन्हें जनपदों में नियुक्त किया जायेगा।

40. चूंकि यह विशेष पाठ्यक्रम अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता – सीधी भर्ती के पुलिस उपाधीक्षकों हेतु बनाया गया है जिसमें कतिपय अन्तःकक्षीय व बाह्य कक्षीय पाठ्यक्रम के कालांशों और कुछ विषयों को इस आशय से घटाया गया है कि ये प्रशिक्षु प्रशिक्षण के साथ-साथ अपने खेलों पर भी पूर्ण रूप से ध्यान दे सकें, इसलिए जनपदीय / अजनपदीय इकाई के पुलिस उपाधीक्षक के किसी नियमित **(**Regular**)** पद पर नियुक्ति के पूर्व इन्हें 2 माह का रिफ्रेशर कोर्स कराया जाएगा जिसमें पाठ्यक्रम के अनुसार आवश्यक एवं विशिष्ट विषयों पर अनुपूरक (अन्तःकक्षीय एवं बाह्य कक्षीय) प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

41. <u>पाठयक्रम में संशोधन</u>

पाठयक्रम में किसी संशोधन की आवश्यकता समझी जायेगी तो पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, विचारोपरांत निर्णय लेकर संशोधन हेतु पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 को प्रस्ताव भेजेंगे।

परिशिष्ट-1

पुलिस उपाधीक्षक (अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता) सीधी भर्ती अन्त: कक्षीय प्रशिक्षण पाठयक्रम की विस्तृत विषय वस्तु

(01) आधुनिक भारत में पुलिस का स्वरूप/राज्य पुलिस व्यवस्था एवं उसका स्वरूप-

कालाँश: 30 **पूर्णांक: 75**

1. सामाजिक, आर्थिक वातावरण एवं पुलिस पर प्रभाव

1 जाति, धर्म, समुदाय एवं वर्ग का भारतीय समाज में महत्व।

2 भारतीय समाज का बदलता सामाजिक, आर्थिक परिवेश से पुलिस के समक्ष उभरती चुनौतियाँ एवं पुलिस की भूमिका

2. पुलिस का स्वरूप :-

1- पुलिस के समक्ष चुनौतियाँ :- साम्प्रदायिकता, जातिवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, राजनैतिक हस्तक्षेप, तकनीक विकास, साइबर क्राइम, संगठित अपराध, सफेदपोश अपराध

3. पुलिस का संगठन :-

1- (अ) उ0प्र0 पुलिस का संगठन :-

राज्य- मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ, जोन, परिक्षेत्र, जिला, सर्किल (क्षेत्र) थाना, चौकी तथा ग्राम स्तर, रिजर्व पुलिस लाइन, पुलिस कण्ट्रोल रूम, अभियोजन शाखा, एल0आई0यू0, विशेष जाँच शाखा, महिला अपराध सेल, महिला पुलिस थाना, क्राइम ब्राँच (डी0सी0आर0बी0), फील्ड यूनिट, एस0ओ0जी0, सर्विलान्स सेल, ए0एच0टी0यू0, विशेष पुलिस अधिकारी।

(ब)-विशेष इकाईयां:-

उ0प्र0 पी.ए.सी. मुख्यालय लखनऊ, भारतीय रिजर्व बटालियन (आई.आर.बी.), एस0टी0एफ0, ए0टी0एस0, महिला पावर लाईन (1090), महिला सम्मान प्रकोष्ठ, स्पेशल ब्राँच, अभिसूचना मुख्यालय, सुरक्षा शाखा, अभियोजन निदेशालय, तकनीकी सेवायें, पुलिस दूरसंचार, उ0प्र0 पुलिस कण्ट्रोल केन्द्र, एफ0एस0एल0, एस0सी0आर0बी0, फिंगर प्रिन्टस ब्यूरो, एस0पी0 एम0वी0ओ0, क्राइम ब्रान्च सी0आई0डी0, राजकीय रेलवे पुलिस, यातायात निदेशालय, होमगार्डस एवं नागरिक सुरक्षा, पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ एवं उनके अधीनस्थ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, राज्य सतर्कता ब्यूरो, अग्निशमन सेवायें, भ्रष्टाचार निवारण, आर्थिक अपराध शाखा, स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (SIT), पावर कारपोरेशन (विजिलेन्स एवं प्रवर्तन इकाई), रूल्स एण्ड मैनुअल, कारागार, उ0प्र0 पुलिस आवास निगम, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, सेण्ट्रल स्टोर कानपुर, सेण्ट्रल स्टोर आयुध (सीतापुर)

2- केन्द्रीय पुलिस संगठन एवं संस्थान:-

1	आई.बी.	**2**	सी.बी.आई.
3	एन.आई.ए.	**4**	बी.पी.आर.एण्ड.डी.
5	एस.वी.पी. एन.पी.ए.	**6**	सी.आर.पी.एफ
7	एस.एस.बी.	**8**	सी.आई.एस.एफ
9	आई.टी.बी.पी.	**10**	बी.एस.एफ.
11	एन.एस.जी.	**12**	एस.पी.जी.
13	एन.डी.आर.एफ	**14**	एन.सी.आर.बी.
15	नारकोटिक कन्ट्रोल ब्यूरो	**16**	प्रवर्तन निदेशालय
17	एन.आई.सी.एफ.एस.		

4. उत्तर प्रदेश शासन का संगठन :-

(क) मुख्य सचिव एवं राज्य के अन्य विभाग

(ख) गृह विभाग का संगठन

(ग) पुलिस-प्रशासनिक सम्बन्ध

5. राज्य निर्वाचन आयोग

(02) भारतीय संविधान-

कालाँश: 30 **पूर्णांक: 75**

1. भारतीय संविधान की उद्देशिका
2. नागरिकता
3. मौलिक अधिकार - अनुच्छेद 14 से 35
4. मौलक कर्तव्य- अनुच्छेद 51 ए
5. सांसदों एवं विधायकों के विशेषाधिकार, उन्मुक्तियाँ- अनुच्छेद 105, 194
6. भारतीय न्यायिक व्यवस्था- उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय - अनुच्छेद 124, 127, 131, 132, 214 से 217, 226
7. अपराधिक न्याय प्रशासन, लोक हितवाद, लोक अदालत
8. सेवायें, अनुच्छेद 308 से 313
9. प्रशासनिक अधिकरण - अनुच्छेद 323 क, ख
10. आपात उपबन्ध -विध्वंसात्मक शक्तियों का विकास, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद, अतिवाद, आतंकवाद आदि
11. लोकल बोडीज- पार्ट 9, 9ए, 9बी

नोट- उपरोक्त पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षुओं को संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का ज्ञान कराना है।

(03) लैंगिक भेदभाव एवं मानवाधिकार-

कालाँश: 3**0** **पूर्णांक**: **50**

खण्ड क- लैंगिक भेदभाव

1. लैंगिक संवेदीकरण
2. महिलाओं के प्रति हिंसा- प्रकृति एवं विस्तार -
   (अ) छेड़खानी
   (ब) घरेलू हिंसा
   (स) दहेज उत्पीड़न/ दहेज मृत्यु
   (द) बलात्कार
   (य) महिलाओं के प्रति अन्य हिंसा
3. महिलाओं के प्रति हिंसा के कारण -
   (अ) पुरूष प्रधान समाज
   (ब) फाइनेंस-आर्थिक निर्भरता
   (स) दहेज
   (द) विवाहेत्तर संबंध (Infidelity)
   (य) अत्यधिक मद्यपान (Alcoholism)
   (र) प्रतिरोध की क्षमता का अभाव
   (ल) कानून की जानकारी न होना
   (व) परिवार के नियंत्रण का अभाव
4. महिलाओं के प्रति हिंसा में पुलिस की प्रतिक्रिया-
   (अ) त्रुटिपूर्ण अवबोधन (Faulty Perception) के कारण पुलिस की प्रतिक्रिया में कमी
   (ब) थाना स्तर पर पीड़ित महिला के साथ अपेक्षित व्यवहार की कमी
   (स) महिला सम्बन्धी अपराधों की धाराओं एवं अन्य निर्देशों की अद्यावधिक जानकारी न होना
   (द) विवेचना में कानून की जानकारी का समुचित प्रयोग न किया जाना
   (य) वैज्ञानिक प्राविधानों की जानकारी एवं उनका प्रयोग न करना

5. पीड़ित महिला के साथ बर्ताव-
   (अ) पीड़ित महिला की मनोदशा को सामान्य रूप से समझना
   (ब) बलात्कार एवं छेड़खानी (Molestation) की शिकार महिलाओं की मनोदशा को विशेष रूप से समझना।
   (स) पीड़ित महिला के साथ बातचीत तथा उसकी पीड़ा को दूर करने में व्यवहार एवं वार्तालाप कौशल
6. पुलिस संगठन में लैंगिकता (Gender) के मुद्दे-
   (अ) महिला पुलिस कर्मियों द्वारा पुलिस के साहसपूर्ण कार्य करने की क्षमता के सम्बंध में त्रुटिपूर्ण अवधारणा
   (ब) महिला आरक्षियों की समस्याएं
   (स) वरिष्ठ अधिकारियों एवं पुरूष सहयोगियों द्वारा महिला पुलिस कर्मियों के साथ बरताव
   (द) पुरूष पुलिस अधिकारी की महिला पुलिस कर्मी के साथ व्यवहार में लैंगिक संवेदनशीलता की आवश्यकता
   (य) पुरूष एवं महिला पुलिस कर्मियों के कर्तव्य आवंटन में भेदभाव के फलस्वरूप संगठन के मनोबल एवं समग्र सार्थकता पर प्रभाव

खण्ड-ख- मानवाधिकार

1. मानवाधिकार की अवधारणा का महत्व
2. मानवाधिकार के अर्न्तराष्ट्रीय दस्तावेज एवं मानवाधिकरों के संरक्षण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय पहल।
3. पुलिस द्वारा लागू की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों में मानवाधिकार की व्यवस्था-
   (1) नागरिकों की गिरफ्तारी के समय
   (2) विवेचना के दौरान गवाहों से पूछताछ के समय
   (3) पीड़ित द्वारा न्याय के लिए गुहार करते समय
4. पुलिस द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन, गैर कानूनी हिरासत, अवैधानिक पुलिस अभिरक्षा, पुलिस हिरासत में बलात्कार, हत्या व अन्य उत्पीड़न, कारण व निवारण।
5. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 (धारा 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 18, 36)।
6. पीड़ित, परिवादी, साक्षी, अभियुक्त से व्यवहार विषयक विभागीय मानवाधिकार संबंधी निर्देशों के मुद्दे पर न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय।
7. अभिरक्षा में मृत्यु, बलात्कार एवं अन्य अपराधों में पुलिस विवेचनाओं से सम्बन्धित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देश।
8. मानवाधिकारों के संरक्षण में पुलिस की भूमिका
9. मानवाधिकार के संबंध में पुलिस के विरूद्ध सामान्य शिकायतों से संबंधित केस लॉ एवं केस स्टडी:-

1- खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार **(ए0*आई*0*आर 1963* उच्चतम न्यायालय पृष्ठ 1925)**

मा*0* उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि बिना किसी विधिक प्राधिकार के पुलिस कर्मियों द्वारा मात्र निगरानी के नाम पर किसी व्यक्ति को घर में रात्रि के समय नियमित रूप से जाना और वहाँ जाकर उसकी उपस्थिति दर्ज करना स्पष्टत: उस व्यक्ति के जीवन व दैहिक स्वतंत्रता में एक अनुचित हस्तक्षेप है।

2. *परमानन्द कटारा बनाम भारत संघ* **(ए0*आई*0*आर*0 *1989* उच्चतम न्यायालय पृष्ठ 2039)**

मा*0* उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि एक दुर्घटनाग्रस्त या घायल व्यक्ति का जीवन विधिक औपचारिकताओं की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान होता है।

3. नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य ***(***एस***0***सी***0***सी***0 1993*** पृष्ठ ***746)***

मा*0* उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि पुलिस अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, राज्य का प्रमुख कर्तव्य है और यदि इस दौरान राज्य के सेवकों अर्थात पुलिस कर्मियों द्वारा उस व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी दशा में राज्य को अपने सेवकों द्वारा किए गए उक्त दोषपूर्ण कार्य के लिए उस नागरिक को प्रतिकर देना होगा।

4. सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन ***1980*** सीआरएलजे ***1099/***सिटिजन फॉर डेमोक्रेसी बनाम आसाम राज्य ***1995*** एससीसी ***743*** हथकड़ी का प्रयोग

इन विधिक व्यवस्थाओं में मा*0* उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि गिरफ्तारी के समय हथकड़ी का प्रयोग किन परिस्थितियों में होगा।

5. दिलीप कुमार बसु बनाम बंगाल राज्य ***1997*** एससीसी ***642*** जोगेन्द्र कुमार बनाम उ***0***प्र***0*** राज्य ***1994*** सीआरएलजे ***1981*** मानवाधिकार

इन विधिक व्यवस्थाओं में मा*0* उच्चतम न्यायालय ने किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी एवं मानवाधिकार के संरक्षण हेतु निर्देश दिए हैं।

6. विशाखा बनाम स्टेट आफ राजस्थान ***(*** एआईआर ***1997 (6)*** एससीसी ***241)***

कामकाजी महिलाओं का कार्य स्थल पर उत्पीड़न रोके जाने विषयक एवं लैंगिक उत्पीड़न न किए जाने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय ने विस्तृत दिशा निर्देश दिये हैं।

7. महबूब बाचा बनाम महाराष्ट्र राज्य ***2011(74)*** एसीसी ***600 (***एसीसी***)***

इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अभिरक्षा में मौत *(Custodial death)* **सभ्य समाज का सबसे घृणित अपराध है तथा देश के सभी राज्यों के गृह सचिव एवं पुलिस महानिदेशकों को अभिरक्षा में होने वाली मौतों को रोकने के लिए कड़े निर्देश दिये हैं।**

8. खेतड़ मजदूर चेतना संगठन बनाम मध्य प्रदेश ***(***ए***0***आई***0***आर***0 1995*** एससी***)*** **मा*0* उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि पुलिस का कर्तव्य अपने कानूनी अधिकारों के लिए संघर्शरत व्यक्तियों की सुरक्षा करना है न कि उन्हें यातना देना।**

9. पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम महाराश्ट्र राज्य एवं अन्य ***(2014) 9*** एससीसी ***129***

पुलिस इन्काउन्टर में मृत्यु एवं गंभीर चोटों के प्रकरणों में पुलिस द्वारा विवेचना में अपेक्षित कार्यवाही किए जाने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित दिशा-निर्देश।

नोट- प्रशिक्षण की समाप्ति पर अधिकारी पुलिस कार्य हेतु मौलिक अधिकारों की पवित्रता को समझने में योग्य होना चाहिये ओर उसे संवैधानिक अधिकारों एवं मानव अधिकारों पर दृष्टि रखने के लिए उत्तरदायी संस्थाओं एंव प्राधिकारियों की जानकारी होनी चाहिए।

(04) अपराधशास्त्र, दण्ड विज्ञान एवं परिपीड़ा शास्त्र-

कालाँश: 30 **पूर्णांक: 50**

अपराध शास्त्र की आधुनिक धारणा का परिचय, अपराध की परिभाषा।

1- **<u>अपराधशास्त्रीय कारण</u>** (Criminological Factors):-

1-मनौवैज्ञानिक
2- भौगोलिक
3- आर्थिक
4- पारिवारिक
5- राजनैतिक
6- संचार माध्यम
7- सामाजिक कुरीतियाँ
8- बेरोजगारी
9- कुसंगति

2- **अपराध एवं अपराधी के प्रकार**

3- <u>दण्ड विज्ञान **(Penology):-**</u>

1. दण्ड विज्ञान की अवधारणा
2. दण्ड के सिद्धान्त एवं प्रकार
3. परिवीक्षा
4. पैरोल
5. सुधार गृह संस्थान
6. विभिन्न प्रकार की जेलों की सामान्य जानकारी

4- **<u>परिपीड़ा शास्त्र (Victimology)</u>**:-

1- अवधारणा एवं लक्ष्य
2- अपराध से पीड़ित व्यक्ति के लिये क्षतिपूर्ति
3- पुर्नस्थापन

(05) मानचित्र पठन, प्लॉन ड्राइंग, रेडियो संचार तथा प्राथमिक चिकित्सा-

कालाँश: 60 **पूर्णांक: 100**

<u>सैद्धान्तिक</u>

कालाँश: 40 **पूर्णांक: 50**

1. **मैप रीडिंग** -
   1- मैप रीडिंग का अर्थ एवं इससे लाभ
   2- दिशाओं और उप दिशाओं का ज्ञान
   3- दिशायें ज्ञात करने के साधन
   4- सांकेतिक चिन्ह
   5- पैमाना
   6- स्थान, स्थिति
   7- नक्शों का बनाना, दिशाओं का दर्शाना एवं दिशानुकूल रखना
   8- परिभाषायें
   9- प्रिज्मेटिक कम्पॉस
   10- जी0पी0एस0

2. **प्लॉन ड्राइंग -**
   1- प्लाँन का वर्गीकरण
   2- घटना स्थल का प्लॉन बनाना
   3- पैमाइश करने की रीति
   4- लम्बाई के पैमाने
   5- नदी की चौड़ाई / गहराई नापने के नियम
   6- अभ्यासिक प्रश्न

3. **रेडियो संचार -**
   1- परिभाषा, आधारभूत धारणायें एवं दूरसंचार नेटवर्क का महत्व
   2- प्रयोग किये जाने वाले उपकरणों का प्रकार
   3- संदेशों की प्राथमिकता- लेखन एवं वर्गीकरण,
   4- वाकी-टॉकी/ स्टैटिक मोबाइल सेटों पर वार्ता करने का व्यवहारिक प्रशिक्षण
   5- दूरसंचार में आधुनिक पद्वतियॉ- सी0सी0टी0वी0, रेडियो बेस्ड पी0ए0 सिस्टम, जी0पी0एस0 बेस्ड व्हकिल ट्रेकिंग सिस्टम
   6- जिलों में स्थापित पुलिस की संचार व्यवस्था-डी.सी.आर., सी.सी.आर., रिपीटर स्टेशन, सी. डब्लू स्टेशन, इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिन्टर, आर.टी.टी.वाई. आदि।

4- प्राथमिक चिकित्सा-
   1- प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ एवं लाभ।प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य,सिद्धान्त, प्राथमिक चिकित्सा किट, प्राथमिक चिकित्सा के दौरान ही संक्रमण से बचाना।
   2- प्राथमिक चिकित्सा के विभिन्न प्रकार एवं संसाधन।
   3- हड्डी टूटने, घाव, रगड़, नीलगू घाव (Contusions) घर्षण (Abrasions) मरहम पट्टी करने का व्यवहारिक ज्ञान।
   4- पीड़ित व्यक्तियों को प्राथमिक सहायता पहुंचाने का व्यवहारिक ज्ञान।
   5- अभ्यासिक प्रदर्शन।

<u>प्रयोगात्मक</u>

कालाँश:20 **पूर्णांक: 50**

1- पीड़ित व्यक्तियों को प्राथमिक सहायता पहुँचाने का व्यवहारिक ज्ञान।
2- शरीर पर आई खुली चोटों एवं हड्डी टूटने की दशा में प्राथमिक उपचार।
3- जहर खाने एवं जलने की दशा में प्राथमिक उपचार।
4- दौरा पड़ने एवं बिजली से झुलसने की दशा में प्राथमिक उपचार।

(6) पुलिस रेगुलेशन-

कालाँश: **60** पूर्णांक: **100**

1- **अध्याय 1**

(अ) पुलिस अधीक्षक के ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियाँ तथा कर्तव्य

(ब) वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक प्रभारी, पुलिस अधीक्षक नगर व पुलिस अधीक्षक देहात की शक्तियाँ तथा कर्तव्य

2- **अध्याय 2** रिजर्व निरीक्षक और रिजर्व उप निरीक्षक

3- **अध्याय 5** थाना प्रभारी की शक्तियां व कर्तव्य एवं उसके अधीनस्थ उपनिरीक्षक, हे0कां0 व कां0 की "शक्तियां व कर्तव्य

4- **अध्याय 6** सशस्त्र पुलिस

5- **अध्याय 7** सशस्त्र प्रशिक्षण रिजर्व (आरक्षित)

6- **अध्याय 8** घुड़सवार पुलिस

7- **अध्याय 9** ग्राम पुलिस

8- **अध्याय 10** थानों में की गयी रिपोर्ट

9- **अध्याय 11** अन्वेषण (अनुसंधान एवं विवेचना)

10- **अध्याय 12** पंचायतनामा, शव परीक्षण और घायल व्यक्तियों का उपचार

11- **अध्याय 13** गिरफ्तारी, जमानत तथा अभिरक्षा

12- **अध्याय 14** सम्पत्ति की अभिरक्षा एवं निपटारा

13- **अध्याय 15** विशेष अपराध

14- **अध्याय 17** गश्त और नाकाबन्दी

15- **अध्याय 18** विशेष गार्द और अतिरिक्त पुलिस

16- **अध्याय 19** फरार अपराधी

17- **अध्याय 20** बुरे चरित्र वालों का पंजीकरण और निगरानी

18- **अध्याय 21** आदेशिकाओं का निष्पादन

19- **अध्याय 22** अभिलेख एवं गोपनीय दस्तावेज

20- **अध्याय 23** पुलिस थानों पर रखे गये लेखे

21- **अध्याय 27** विशेष विधियों और नियमों के अन्तर्गत कर्तव्य

22- **अध्याय 28** प्रकीर्ण

23- **अध्याय 31** पारितोषिक (अद्ययावधिक स्थिति)

24- **अध्याय 35**- राजपत्रित अधिकारियों, निरीक्षकों और रिजर्व उप निरीक्षकों का प्रशिक्षण

25- **अध्याय 36**- उप निरीक्षकों का प्रशिक्षण

26- **अध्याय 37**- हेड0 कानि0 व कानि0 का प्रशिक्षण

(07) भारतीय न्याय संहिता 2023-

कालाँश : 80 **पूर्णांक: 100**

अध्याय 1- प्रस्तावना एवं परिभाषाऐं अपराध की अवधारणा धारा 1 से 2
अध्याय 2- दण्डों के विषय में धारा 4, 13
अध्याय 3- साधारण अपवाद धारा 14 से 44
अध्याय 4- दुष्प्रेरण एवं आपराधिक षडयन्त्र और प्रयास धारा 45 से 49, 54, 61, 62
अध्याय 5- महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में धारा 63 से 71 तक 73 से 80 तक, 85, 86, 89, 91, 93 से 95 तक
अध्याय 6- मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में धारा 100 से 106 तक, धारा 108 से 110 तक, धारा 111 से 118 तक, धारा 120, 121, 123 से 127 तक, धारा 134 से 144 तक
अध्याय 7- राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में धारा 147 से 152
अध्याय 8- सेना, नौसेना और वायु सेना से सम्बन्धित अपराध धारा 164, 168
अध्याय 9- निर्वाचन से सम्बन्धित अपराधों के विषय में धारा 169, से 177
अध्याय 10- सिक्का, करेन्सी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी स्टाम्पों से सम्बन्धित अपराधों के विषय में धारा 178 से 182 तक, 186
अध्याय 11- लोक प्रशान्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में धारा 189 से 192, 194, 196, 197,
अध्याय 12- लोक सेवक द्वारा या उनसे सम्बन्धित अपराधों के विषय में धारा 198 से 200 तक, 204, 205
अध्याय 13- लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में धारा 208, 209, 217 से 223 तक
अध्याय 14- मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में धारा- 227 से 229, 232, 233, 238, 248, 249, 253, 254, 256, 261, 262, 263, 266, 267, 269,
अध्याय 15- लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता एवं सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में धारा 270 से 272 तक 274 से 278, 279, 280, 281, 285, 291, 294, 295, 296
अध्याय 16- धर्म से सम्बन्धित अपराधों के विषय में धारा 298 से 302 तक
अध्याय 17- सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में धारा 303 से 308 तक, 309 से 319 तक, 324 से 326 तक, 329 से 333 तक
अध्याय 18- अभिलेखों, सम्पत्ति चिन्हों से सम्बन्धित अपराध के विषय में धारा 335, 336, 338, 340, 346,
अध्याय 19- आपराधिक अभित्रास, अपमान, क्षोभ, मानहानि आदि के विषय में धारा 351, 352, 356

नोट- (i) विषय अध्यापक आद्यतन संशोधनों की जानकारी प्रशिक्षुओं को देंगे।
(ii) उद्देश्य यह है कि प्रशिक्षु अधिकारी को भारतीय न्याय संहिता 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अपराधों के अवयवों (ingredients) की जानकारी हो सके।

केस लॉ

1- रीमा अग्रवाल बनाम अनुपम ***2004(3)*** एससी ***199***
विवाह अवैध होने पर भी दहेज हत्या के प्रकरण में धारा *304* बी के प्राविधान लागू होगें।

2- विश्वनाथ बनाम जम्मू कश्मीर राज्य एआईआर ***1983 (*** एससी***) 174***
अस्थायी गबन भी गबन की श्रेणी में आता है।

3- **राजेश शर्मा बनाम उ*0*प्र*0* राज्य एवं अन्य *(*क्रिमिनल अपील संख्या***:1265/2017 **एवं स्पेशल लीव पिटीशन संख्या***:* 2013/17***आई*0*टी*0*)*

(08) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023-

कालाँश: **90** पूर्णांक: **100**

सैद्धान्तिक

कालाँश: **80** पूर्णांक: **75**

अध्याय 1 **प्रस्तावना एवं परिभाषायें धारा-** 2(1)(**क**), 2(1(**ख**), 2(1) (**ग**), 2(1) (**घ**), 2(I)(**ड़**), 2(I)(**च**), 2(I)(**छ**), 2(I)(**ज**), 2(I)(**झ**), 2(I)(**ट**), 2(I)(**ठ**), 2(I)(**ढ**), 2(I)(**ड़**), 2(I)(**ण**), 2(I)(**द**), 2(I)(**प**), 2(I)(**भ**), 2(I)(**म**), 2(I)(**य**), 2(2)

अध्याय 2 **दण्ड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन धारा-**6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20

अध्याय 3 **न्यायालय की शक्ति धारा** 21 **से** 24

अध्याय 4 **पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियॉ धारा** 30 **से** 34

अध्याय 5 **व्यक्तियों की गिरफ्तारी, चिकित्सीय परीक्षण आदि धारा** 35 **से** 61

अध्याय 6 **उपस्थित होने के लिए विवश करने वाली आदेशिकायें धारा** 63 **से** 93

अध्याय 7 **वस्तुएँ प्रस्तुत करने के लिए विवश करने वाली आदेशिकायें धारा** 94, 96 **से** 98, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 110

अध्याय 9 **परिशान्ति एवं सदाचार बनाये रखने के लिए प्रतिभूति धारा** 125 **से** 141

अध्याय 10 **लोक व्यवस्था एवं परिशान्ति बनाये रखने के लिए प्रतिभूति धारा** 148 **से** 151, 152, 163 **से** 165 **तक**

अध्याय 12 **पुलिस द्वारा रोकथाम की कार्यवाही धारा** 168 **से** 170,172

अध्याय 13 **पुलिस के लिए सूचना एवं अन्वेषण की शक्तियॉ धारा** 173 **से** 196

अध्याय 14 **जॉचों और विचारणों में दण्ड न्यायालयों की अधिकारिता धारा** 197 **से** 203

अध्याय 15 **आपराधिक कार्यवाहियॉ शुरु करने के लिए आवश्यक शर्ते धारा** 210, 215, 216 **से** 222

अध्याय 16 **मजिस्ट्रेट से परिवाद धारा** 223, 225

अध्याय 17 **मजिस्ट्रेट के सम्मुख कार्यवाही का प्रारम्भ किया जाना धारा** 227, 232

अध्याय 18 **आरोप धारा** 234, 242

अध्याय 23 **प्ली बार्गेनिंग (सौदा अभिवाक) धारा** 289 **से** 300

अध्याय 24 **कारागार में निरूद्ध व्यक्तियों की हाजिरी के विषय में धारा** 301 **से** 305

अध्याय 25 **जांचों व विचारण में साक्ष्य से सम्बन्धित धारा** 335, 336

अध्याय 26 **जांचों व विचारण के बारे में सामान्य प्राविधान धारा** 343, 346, 349, 356

अध्याय 28 **न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में धारा** 384, 389

अध्याय 29 **निर्णय धारा** 401, 398

अध्याय 31 **अपीलें धारा** 418, 419

अध्याय 35 **जमानत एवं बन्धपत्र से सम्बन्धित उपबन्ध धारा** 478, 479, 480, 481 **से** 485

अध्याय 36 **सम्पत्ति का निस्तारण धारा** 502 **से** 505

अध्याय 38 **कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा धारा** 514, 519

अध्याय 39 **प्रकीर्ण धारा** 398, 472, 528, 530 **एवं परिशिष्ट** 1 **व** 2 **की जानकारी**

नोट- (i) विषय अध्यापक अद्यतन सशोधनों की जानकारी प्रशिक्षुओं को देंगे।

(ii) उद्देश्य यह है कि प्रशिक्षु अधिकारी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अपराधों के अवयवों (ingredients) की जानकारी हो सके।

केस लॉ

1- नंदिनी सत्पथी बनाम पी0एल0दानी राज्य ***1976*** एससीसी पृष्ठ ***424***

विवेचनाधिकारी किसी अभियुक्त /संदिग्ध पर शारीरिक /मानसिक या अन्य दबाव नही डालेगा एवं हिरासतके दौरान अभियुक्त विधिक सहायता हेतु विधि परामर्शी को बुला सकता है तथा द*0प्र0सं0* की धारा *161* के अन्तर्गत गवाहों के ही नही बल्कि अभियुक्त के बयान भी अंकित किये जा सकते हैं।

2- भगवंत सिह बनाम पुलिस कमिश्नर ***1985*** एसीसी ***246 (***उच्चतम न्यायालय ***)*** एसीसी ***2011*** पृष्ठ ***719 (***उच्चतम न्यायालय ***)***

मा*0* सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किया गया है कि अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित किए जाने के उपरान्त उसे न्यायालय द्वारा बिना रिपोर्टकर्ता का पक्ष सुने स्वीकृत नही किया जाना चाहिये।

3-जसबन्त व अन्य बनाम उ0प्र0राज्य ए0सी0सी0 ***1994 (31)*** पृष्ठ ***425 (***इला0 उच्च न्यायालय***)***

मा*0* इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया है कि मुल्जिम पक्ष द्वारा जमानत के समय दाखिल किए गए वादी पक्ष के गवाहों के शपथ पत्र मान्य नही है।

4- रधुवीर बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ***(*** ए0सी0सी0 ***1995*** पृष्ठ ***216*** मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ***)***

मा*0* इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया है कि यदि थाना प्रभारी की गिरफ्तारी है तो उसका अधीनस्थ उपनिरीक्षक उस अभियोग की विवेचना नही कर सकता।

5-जोगेन्द्र नाइक बनाम उडीसा राज्य ***(*** ए0आई0आर0 ***1999*** मा0 उच्चतम न्यायालय पृष्ठ ***2565)***

मा*0* उच्चतम न्यायालय ने निर्देशित किया है कि धारा- *164* द*0प्र0सं0* के अन्तर्गत गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट द्वारा केवल तब ही अंकित किए जायेंगे जब उन्हें विवेचक द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाये।

6-ललिता कुमारी बनाम उ0प्र0 राज्य ***2014 (84)***एसीसी ***719(***एससी***)***

माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देशित किया है कि कुछ आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर थाने का भारसाधक अधिकारी संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए बाध्य है।

7- रिट पिटीशन संख्या***: 10792/2015*** **श्रीमती रीना कुमारी बनाम उ*0प्र0* राज्य एवं अन्य *(*जनपद रामपुर*)***, रिट पिटीशन संख्या***:10756/2015*** **श्रीमती शाहिदा बनाम उ*0प्र0* राज्य एवं *08* अन्य *(*जनपद सहारनपुर*)*** **तथा** प्रमुख सचिव**,** गृह ***(***पुलिस***)*** अनुभाग***-3,*** उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या***: 2028***पी/छ***:-***पु***0-3-13(13)***पी***/15*** दिनांक***: 23.07.2015*** **के पत्र में अंकित रूपराम बनाम राज्य**

8-उ***0***प्र***0***राज्य बनाम सुरेन्द्र त्रिपाठी आदि एसीसी ***2001*** पृष्ठ ***- 726 (***उच्च न्यायालय इलाहाबाद***)*** विधि विरूद्व कब्जा

मा*0* उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह विधि व्यवस्था दी गयी है कि विधि विरूद्व आधिपत्य यदि मान्य है तब उसे सपत्ति के मालिक द्वारा भी बल प्रयोग करके नही निकाला जा सकता है।

9-सुन्दरभाई अम्बा लाल देसाई बनाम गुजरात राज्य ***(***उम0नि0प0 ***2003*** पृष्ठ ***338)***

माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देशित किया है कि पुलिस द्वारा अभिगृहित वस्तुओं को अनावश्यक रूप से या दीर्धावधि तक पुलिस थानो में नही पड़े रहने देना चाहिये तथा न्यायालय को पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में ली गई सम्पत्ति के निस्तारण के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए।

10-किशन पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ***(*** एसीसी ***2006*** पृष्ठ ***1015)***

मा*0* इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि यद्यपि न्यायालय द्वारा अन्वेषण के प्रक्रम पर हस्तक्षेप करना उचित नही है तथापि समान रूप से ये भी सही है कि अन्वेषण अभिकर्ता को किसी समय सीमा के बिना अन्वेषण के निष्कर्ष को देर तक रोके रखने का अधिकार नही दिया जा सकता।

11-बृज लालभर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ***2006(55)*** एसीसी ***864 (***इलाहाबाद उच्च न्यायालय***)***

मा*0* इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि मामला थाने पर असंज्ञेय के रूप में दर्ज होता है और बाद में संज्ञेय मामलें की साक्ष्य प्राप्त होती है तो विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट से विवेचना की अनुमति की आवश्यकता नही होगी।

12-तापस डी***0*** नियोगी बनाम महाराष्ट्र राज्य ***1999*** क्रि***0*** लॉ***0*** ज***0 4305 (***एससी***)***

मा*0* उच्चतम न्यायालय ने विधि व्यवस्था दी है कि अभियुक्त द्वारा अपराध की कमाई से बैंक में जमा किया गया धन दण्ड प्रकिया संहिता की धारा *102* के अन्तर्गत सम्पत्ति की श्रेणी में आता है। विवेचक को अन्वेषण के दौरान ऐसे व्यक्ति का बैंक एकाउन्ट सीज करने व परिचालन बन्द करने का निर्देश बैंक अधिकारी को देने का अधिकार है।

13-अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य ***2006 (55)*** एसीसी ***864*** सर्वोच्च न्यायालय

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी के संबंध में निर्देशित किया गया है कि *07* वर्ष तक की सजा के अपराध के मामले में पुलिस अधिकारी को अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए।

14-अनीमी रेड्डी बैंकटरामन्ना बनाम् पब्लिक प्रोसीक्यूटर, एचसी ऑफ एपी ***2008(61)*** एसीसी ***703*** एससी

मा*0* उच्चतम न्यायालय ने विधि व्यवस्था में कहा है कि यदि पुलिस अधिकारी को संगीन अपराध के घटित होने की सूचना प्राप्त होती है तो बिना औपचारिक एफ.आई.आर. दर्ज किये उसका कर्तव्य है कि वह मौके पर जाकर घायलों की सुरक्षा प्रदान करे। उच्चतम न्यायालय ने निर्देशित किया कि यह राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह ऐसी स्थिति में संबंधित लोगों को समुचित सुरक्षा प्रदान करे।

15-प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार बनाम् कपिल बधावन एस***0***एल***0***पी***0(***क्रिमनल नं***0 51/75/2023)* निर्णय दिनांक *21.04.2023***

सुप्रीम कोर्ट*:* इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की *03* जजों की पीठ ने निर्णित किया है कि धारा *167* सी*0*आर*0*पी*0*सी*0* के अन्तर्गत *60* या *90* दिवस की गणना करने में एक भी दिन अपवर्जित नहीं किया जायेगा। रिमाण्ड के प्रथम दिन से *60/90* दिवस की अवधि के भीतर विवेचना अधिकारी को आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में दाखित करना होगा अन्यथा अभियुक्त डिफॉल्ट बेल का अधिकारी हो जायेगा।

***16-* अन्य- भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बलात्कार की शिकार पीड़ित महिला के मेडिकल परीक्षण के समय टू-फिंगर टेस्ट को अनुमन्य न किए जाने के सम्बन्ध में निर्देश।**

नोट- उद्देश्य यह है कि अधिकारी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के उन सुसंगत उपबन्धों एवं सुसंगत केस लॉ से सुसज्जित कर दिया जाये, जिन्हें उसे अन्वेषण अधिकारी के रुप में अपने कर्तव्य के निर्वहन और न्यायालय एवं अभियोजन इकाई को न्यायिक कार्यवाहियों के मध्य सहायता प्रदान करते समय प्रयोग में लाना होता है।

प्रयोगात्मक

कालांश-10 **अंक**-25

1-	गृह तलाशी एवं फर्द बनाना	04 अंक
2-	जामा तलाशी एवं फर्द	02 अंक
3-	गिरफ्तारी एवं फर्द	02 अंक
4-	माल कब्जे में लेने की फर्द	02 अंक
5-	पंचायतनामा भरना	02 अंक
6-	केस डायरी लिखना- बयान गवाह, तलाशी, गिरफ्तारी, बरामदगी माल	05 अंक
7-	जमानत विरोध का प्रपत्र तैयार करना	03 अंक
8-	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार वीडियो रिकार्डिंग तैयार करना	05 अंक

(09) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023

कालाँश**: 50** पूर्णांक**: 50**

अध्याय 1	**प्रस्तावना एवं परिभाषायें धारा 1 व 2**
अध्याय 2	**तथ्यों की सुसंगति धारा 3 से 9, -स्वीकृतियाँ 15, संस्वीकृतियाँ धारा 22 से 24 मृत्युकालिक कथन धारा 26, विशेषज्ञ की राय धारा 39, 41, 42, "शील कब सुसंगत है धारा 46 से 50 तक**
अध्याय 4	**मौखिक साक्ष्य के विषय में धारा 54, 55**
अध्याय 5	**अभिलेखीय साक्ष्य धारा 56, 57, 58, 61, 62, 63, 65, 66, 72, 73, 74,75**
अध्याय 7	**सबूत का भार धारा 104 से 113, उपधारणा धारा 117, 118, 119, 120**
अध्याय 9	**साक्षियों के विषय में धारा 124, 125, विशेषाधिकृत संसूचना धारा 128 से 132 सह अपराधी धारा 138, 139**
अध्याय 10	**साक्षियों की परीक्षा के विषय में धारा 142 से 144, 146, 148, 149, 157, 158, 160, 162, 163 से 168**

नोट- (i) विषय अध्यापक आद्यतन संशोधनों की जानकारी प्रशिक्षुओं को देंगे।

(ii) उद्देश्य यह है कि प्रशिक्षु अधिकारी को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अपराधों के अवयवों (ingredients) की जानकारी हो सके।

केस लॉ

1. सुनील व अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ***(***दिल्ली राज्य***)*** एसीसी ***2001*** पृष्ठ ***223 (***उच्चतम न्यायालय***)*** भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 23 की बरामदगी

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 23 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस द्वारा की गई बरामदगी इस कारण विष्वसनीय नही होगी कि अभिलेखों पर निष्पक्ष/स्वतंत्र साक्षियों के हस्ताक्षर पुलिस ने नही कराये ।

2. राजस्थान राज्य बनाम हनुमान एसीसी ***2001*** पृष्ठ ***351 (***उच्चतम न्याया***0)*** हितबद्व साक्षी

यदि घटना के साक्षी परिवारजन ही है तब भी उनकी साक्ष्य की ग्राहयता कितनी होगी, इस विधि व्यवस्थामें मा*0* सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकाश डाला गया ।

3. उकाराम बनाम राजस्थान राज्य एसीसी ***2001*** पृष्ठ ***972 (***उच्चतम न्यायालय***)*** मृत्युकालीन कथन

मा*0*सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस विधि व्यवस्था में मृत्युकालीन कथन की ग्राहयता एवं कथन अंकित करते समयबरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डाला गया है।

4. निसार अहमद बनाम बिहार राज्य एसीसी ***2001*** पृष्ठ ***846 (***उच्चतम न्यायालय***)*** परिस्थितिजन्य साक्ष्य

मा*0*सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस विधि व्यवस्था में यह कहा है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य का क्या महत्व है एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दण्ड दिया जा सकता है।

5. विक्रम सिंह बनाम पंजाब राज्य ***2010(68)***एसीसी ***726(***एससी***)***

भा*0*सा*0*अधि*0* की धारा*27* के प्राविधानों को आकर्षित करने के लिए यह आवश्यक नहीं कि अभियुक्त की औपचारिक रूप से गिरफ्तारी की जाये, बल्कि अभियुक्त का अभिरक्षा में होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत केस परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित विवेचना का बहुत अच्छा उदाहरण है।

नोट- (i) प्रशिक्षुओं को विभिन्न केस लॉ के सबंध में पुलिस महानिदेशक मुख्यालय द्वारा निर्गत परिपत्रों की जानकारी एवं ज्ञान ।

(ii) उद्देश्य यह है कि प्रशिक्षु साक्ष्यों की प्रकृति और न्यायालय में उनकी स्वीकार्यता समझ सके। विषय के अध्यापन में स्पष्टीकरण एवं उदाहरणों का समावेश किया जाना चाहिए, ताकि प्रशिक्षु प्रशिक्षण की समाप्ति के पश्चात मामले से सम्बन्धित सुसंगत साक्ष्य एकत्रित करने के योग्य हो सके।

(10) विधि विज्ञान एवं विधि चिकित्सा शास्त्र-

कालाँश: 60 पूर्णांक**: 75**

<u>सैद्धान्तिक</u> <u>ए- विधि विज्ञान (फॉरेन्सिक साइंस)</u>

कालाँश- 20 अंक**-35**

1- विधि विज्ञान, अपराध विवेचना में इसकी उपयोगिता
2- केन्द्रीय व राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाए, अन्य विशेषज्ञ संस्थान, पुलिस कार्य में उनकी उपयोगिता, फील्ड यूनिट, विशेषज्ञ राय के सम्बन्ध में कानून
3- घटना स्थल का दृश्य और इसका रक्षण एवं परीक्षण
4- भौतिक साक्ष्य और इनका महत्व। घटना स्थल पर भौतिक सूत्रों को पहचानना व एकत्रित करना
5- अंगुष्ठ छाप, इतिहास, महत्व, वर्गीकरण, छाप के प्रकार, अदृश्य चिन्हों को विकसित करना एवं उठाना, हथेली की छाप, एक अंकीय व दस अंकीय प्रणाली
6- पद व जूतों की छाप, महत्व, पद छाप उठाने की विधियाँ, वाकिंग पिक्चर, टायर मार्क, स्किड मार्क
7- भौतिक साक्ष्यों की पहचान-
   (1) रक्त- रक्त का विश्लेशण, रक्त समूह व रक्त के वर्गीकरण का निर्धारण, परीक्षण विधियाँ, साक्ष्य के रूप में उपयोगिता
   (2) शारीरिक तरल-शुक्राणु, लार व पसीना-परिरक्षण व पैकिंग परीक्षण विधियां, साक्ष्य के रूप में उपयोगिता
   (3) बाल- संरचना, साक्ष्य के रूप में बाल की उपयोगिता
   (4) काँच- संरचना, काँच विभंजन (Glass fractures) से प्राप्त होने वाली जानकारियाँ, संग्रह परिरक्षण एवं परीक्षण।
   (5) मिट्टी- संरचना, संग्रह, परिरक्षण एवं परीक्षण।
   (6) पेन्ट- रासायनिक संघटन, संग्रह, परिरक्षण एवं परीक्षण।
8- अभिलेख- जाली दस्तावेज, दस्तावेज परीक्षण के सिद्धाँत, पहचान हेतु परीक्षण- लेखन सतह, लेखन यंत्र, स्याही हस्तलिपि, विलेखन (Erasure), संकलन (Addition), विलोपन (Oblitration), परिवर्तन (Alteration), गुप्त, जले व झुलसे दस्तावेज, टंकित लेख, हस्तलेख, हस्तलेख का नमूना प्राप्त करना, गुप्त लेख, कार्बन कापी।
9- जाली नोट व सिक्के- पहचान के आधार
10- औजार चिन्ह, प्रकार, विलुप्त चिन्हों का पुन: उभारना (पुन: स्थापना)
11- एल्कोहल, ड्रग एवं नारकोटिक्स
12- विष- विषों का वर्गीकरण, सामान्यतया प्रयोग में लाये जाने वाले विष, विसरा सुरक्षित रखना, विष प्रकरण में संग्रहित किए जाने वाले साक्ष्य
13- डी.एन.ए. की जाँच व उपयोगिता, डी.एन.ए. सैम्पल लेना एवं परीक्षण हेतु भेजना
14- नारको एनेलेसिस, ब्रेन मैपिंग एवं पॉलीग्राफ टेस्ट- सामान्य जानकारी
15- अस्त्रक्षेप विज्ञान-आग्नेयास्त्र का वर्गीकरण, बोर, कारतूस, बुलेट, वैड, गन पाउडर, कारतूस व बुलेट पर बनने वाले निशान व परीक्षण, फायरिंग की दूरी का निर्धारण, गनशाट रेजीडयू टेस्ट, रिकोचेटिंग
16- विस्फोटक-वर्गीकरण, सामान्यतया प्रयोग में लाये जाने वाले विस्फोटकों के सम्बन्ध में जानकारी, विस्फोटक के अवशेषों का एकत्रीकरण, विस्फोट के बाद घटनास्थल पर बरती जाने वाली सावधानियॉँ
17- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्राविधानों के अन्तर्गत ट्रैप के मामलों में रंगों एवं रसायनों का प्रयोग (प्रणाली-व्याख्यान एवं प्रदर्शन)
18- पुलिस कार्य मे फोटोग्राफी, घटना स्थल की फोटोग्राफी, व्याइस सैम्पल एनालेसिस, प्रणाली-व्याख्यान एवं प्रदर्शन)
19- संदिग्ध का कम्प्यूटर आधारित चित्रण/चित्र तैयार करना (प्रणाली-व्याख्यान एवं प्रदर्शन)
20- मोबाइल फोरेन्सिक
21- कम्प्यूटर फोरेन्सिक
22- सोशल मीडिया/वेबसाइट

नोट- व्याख्यान/दृश्य-श्रव्य सामग्री/केस स्टडी/प्रयोगशाला भ्रमण/व्यवहारिक प्रदर्शनों को अध्यापन प्रणाली के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। उद्देश्य है कि अधिकारी अपराधों की विवेचना में उपलब्ध वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करने की जानकारी हासिल कर लें।

प्रयोगात्मक

कालाँश-20 **अंक-25**

1- भौतिक प्रदर्शों का उठाना, पैक करना, सील बन्द करना, लेबल लगाना एवं परिवहन करना।

2- साइबर अपराध/ कम्प्यूटर अपराध से संबंधित मौके से प्रदर्शों को उठाना, पैक करना, सील बन्द करना, लेबल लगाना एवं परिवहन करना

3- डी0एन0ए0 परीक्षण हेतु प्रदर्शों का उठाना, पैक करना, सील बन्द करना, लेबल लगाना एवं परिवहन करना।

4- रक्त साक्ष्य का संग्रह व पैकिंग करना।

5- ड्रग डिटेक्शन किट द्वारा द्वारा नारकोटिक्स का परीक्षण करना।

6- विस्फोट के घटनास्थल पर साक्ष्यों का एकत्रीकरण।

7- ट्रैप के मामलों में रासायनिक रंगों का प्रयोग।

8- विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विषेशज्ञ हेतु पत्र/ज्ञापन तैयार करना एवं अग्रसारित करना।

9- हत्या, चोरी, बलात्कार, सड़क दुर्घटना आदि अपराधों के घटनास्थल का प्रतिरूपण कर घटनास्थल को सुरक्षित करना, घटनास्थल का निरीक्षण, भौतिक साक्ष्यों का उठाया जाना।

10- अपराध के घटनास्थल की फोटोग्राफी स्वयं करें।

(बी) विधि चिकित्सा शास्त्र (फारेन्सिक मेडिसिन)

कालाँश-20 **अंक-15**

1- पुलिस कार्य में विधि चिकित्सा शास्त्र का क्षेत्र (स्कोप) एवं महत्व

2- मेडीकोलीगल साक्ष्य के दृष्टिकोण से घटना स्थल का निरीक्षण

3- चोटें व घाव, परिभाशा, साधारण व गम्भीर चोट, विभिन्न प्रकार की चोटे-नील, रगड़/खरोच, कटे-फटे व कुचले घाव, घोपे हुए घाव, फ्रैक्चर, जलने के घाव, विद्युत करंट से आये घाव, आग्नेयास्त्र घाव, प्रवेश व निकासी, घाव में अन्तर:- मृत्यु पूर्व व मृत्यु पश्चात आयी चोटों में अन्तर, चोट की अवधि

4- मृत्यु के कारणों एवं मृत्यु के पश्चात व्यतीत समय पर बल देते हुए मेडीकोलीगल पहलू

5- हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना एवं स्वाभाविक (प्राकृतिक) मृत्यु

6- मृत्यु के प्रकार, मृत्यु के कारण, फाँसी लगाकर मृत्यु, गला घोटकर मृत्यु, श्वासावरोध, पानी में डूबकर मृत्यु, मृत्यु के पश्चात शरीर पर दिखायी देने वाले लक्षण व उनका मेडिकोलीगल महत्व, डायटम परीक्षण, विष/विषैले पदार्थ के प्रभाव से मृत / जीवित व्यक्तियों के शारीरिक लक्षणों की पहचान

7- मृत व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के तरीके:-
   - उत्खनन, पोस्ट मार्टम परीक्षण, क्षत-विक्षत मृत शरीर का परीक्षण
   - अस्थि अवशेष और लिंग एवं आयु का निर्धारण

8- यौन अपराध-बलात्कार, अवैध गर्भपात एवं बाल हत्या

9- आयु निर्धारण सहित जीवित व्यक्तियों की पहचान स्थापित करने के तरीके

10- अपराध (जीवित एवं मृत शरीर) कारित करने हेतु भारत में साधारणत: प्रयोग में लाये जाने वाले जहरों का मेडीकोलीगल पहलू

11- पोस्टमार्टम एवं मेडीकोलीगल परींक्षण में सामान्यत: प्रयुक्त विभिन्न शब्द/श्ब्दावली

नोट- उपरोक्त विषयों का प्रशिक्षण दिये जाते समय व्याख्यान, दृश्य-श्रव्य सहायकों और केस स्टडी प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि अधिकारी को अन्वेषण के दृष्टिकोण से विधि चिकित्सा शास्त्र का सम्यक् ज्ञान हो सके।

(11) थाना प्रबन्धन एवं जी0आर0पी0-

कालाँश- 30 **पूर्णांक-50**

सैद्धान्तिक

कालाँश**: 24** पूर्णांक**: 25**

1. **अपराध की रोकथाम** :-

अपराध की रोकथाम- तकनीक एवं रणनीति।

- बीट एवं गश्त उद्देश्य एवं प्रक्रिया-शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में बीट पद्धति एवं गश्त मिलान-योजना, डिप्लायमेंट एवं बीट चेकिंग व पर्यवेक्षण।
- क्राइम मैपिंग, हॉट स्पॉट पुलिसिंग, क्राइम नेटवर्क, COMPSTAT
- पेट्रोल एवं पिकेट्स,
- चोरी, नकबजनी, लूट, डकैती व अन्य सम्पत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम
- संगठित अपराधों से संबंधित सूचना, घटनायें, आकड़े, अपराधियों के संबंध में अभिलेखीकरण, विश्लेषण तथा उनकी रोकथाम
- ग्राम चौकीदारों, सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं आग्नेयास्त्र धारकों का सहयोग प्राप्त करना। VDS (ग्रामीण सुरक्षा समिति), UDS (शहरी सुरक्षा समिति)
- कानूनी प्राविधान एवं प्रक्रिया**-** निगरानी के तौर तरीकों पर न्यायालय के निर्देश, ग्राम भ्रमण एवं अपराध की रोकथाम में इसका महत्व
- पैरोल उल्लघंन कर्ताओं से व्यवहार (द गुड कन्डक्ट आफ प्रिजनर्स प्रोबेशन रिलीज ऐक्ट 1926, धारा-2से 8)
- जमानत उल्लघंन कर्ताओं एवं घोषित अपराधियों के साथ व्यवहार

1- अपराधिक अभिसूचना संकलन व निगरानी **(**सर्विलाँस**)-**

- अभिसूचना संकलन की कला और उनका प्रयोग।
- अपराधिक अभिसूचना का एकत्रीकरण**-**मुखबिर के द्वारा पुलिस को सूचना देने का उद्देश्य**,** मुखबिरों का फैलाव एवं रख**-**रखाव**/**सूचना देने वाले क्या करें क्या न करें**,** सूचना के अभिलिखित स्रोत
- आपराधिक अभिसूचना के एकत्रीकरण में नागरिकों का सहयोग।
- सर्विलांस **(**निगरानी**)** का उद्देश्य व मकसद।
- निगरानी के तरीके **(**टेकनिक्स आफ सर्विलांस**),** सर्विलांस के अत्याधुनिक उपकरण एवं उनकी जानकारी
- संगठित अपराधियों**,** आपराधिक गैंग**,** अभ्यस्त अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों की निगरानी

2. **अपराध सम्बंधी अभिलेख तथा साँख्यकी** -

1- आवश्यक्ता तथा महत्व
2- अभियुक्तों से सम्बंधित विभिन्न प्रकार के अभिलेख थाना स्तर के अभिलेखों का ज्ञान एवं आँकड़ा, विशेष रूप से हिस्ट्रीशीट, क्रियाशील अपराधी सूची, मफरूर रजिस्टर आदि

3- जिला स्तर के अभिलेखों का रखना (जिला पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी/डी0सी0आर0बी0/जिला क्राइम ब्रान्च/एस0पी0ओ0 कार्यालय)
4- स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एस0सी0आर0बी0) के अभिलेख
5- अपराध की प्रवृत्ति, अपराध के तरीके, आपराधिक ऑकड़े के अभिलेखों एवं अपराधियों का विश्लेषण
6- थाना एवं विभिन्न स्तरों पर रखे जाने वाले अभिलेखों से सम्बन्धित योजना, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, विश्लेषण

3. **सामुदायिक पुलिस व्यवस्था :-**
1- समुदायिक पुलिस व्यवस्था प्रणाली
2- सामुदायिक पुलिस व्यवस्था में पुलिस की भूमिका

<u>प्रयोगात्मक</u>

कालाँश-06 **अंक-25**

1-	गश्त एवं गश्त मिलान	-04 अंक
2-	पिकेट ड्यूटी	-03 अंक
3-	हिस्ट्रीशीट तैयार करना	-03 अंक
4-	पिकेट एवं गार्ड के लिये स्थायी आदेश बनाना	-02 अंक
5-	शान्ति व्यवस्था ड्यूटी हेतु पी0ए0सी0/ अन्य बल आने पर उनके लिये ड्यूटी हेतु स्थायी आदेश बनाना	-02 अंक
6-	डकैतों का गैंग चार्ट बनाना एवं नकबजनों की गैंगशीट बनाना	-02 अंक
7-	सड़क पर रोककर सुरक्षा पूर्वक वाहन की तलाशी	-03 अंक
8-	विभिन्न किस्म की बीट सूचनायें अंकित करना	-02 अंक
9-	VCNB (ग्राम अपराध रजिस्टर) के भाग-4 हेतु नोट तैयार करना	-02 अंक
10-	संदिग्ध रोल के लिये रिपोर्ट तैयार करना	-02 अंक

(12) अपराधों की विवेचना एवं पर्यवेक्षण -

कालाँश-80 **पूर्णांक**: 100

<u>सैद्धान्तिक</u>

कालाँश-55 **अंक**-50

1- विवेचना का परिचय, विवेचना में सामान्य सिद्धान्त एवं विवेचना के चरण

- विवेचना के सिद्धान्त
- विवेचक अधिकारी की दक्षतायें/कौशल
- जाँच व विवेचना में अंतर
- सूचना एवं परिवाद में अंतर
- सूचना एवं विवेचना: विधिक प्राविधान (बी0एन0एस0एस0 की धारा 173 से 196, राज्य पुलिस नियमों के सुसंगत उपबन्ध)

2- अपराध का पंजीकरण एवं अपराध का घटना स्थल

- प्रथम सूचना रिपोर्ट का तैयार किया जाना (बी0एन0एस0एस0 की धारा 173 व 174) व्यवहारिक अभ्यास सहित
- अपराध घटनास्थल का निरीक्षण और अपराध घटना स्थल का रक्षण, फॉरेन्सिक विशेषज्ञ द्वारा अपराध घटना स्थल का भ्रमण, डॉग स्क्वाड का प्रयोग
- घटनास्थल पर साक्ष्यों की पहचान कर नक्शा नजरी में स्थिति निर्धारित करना
- प्रदर्शों की अभिरक्षा एवं उनकी वैधानिकता बनाए रखना, क्रमबद्धता को बनाये रखना एवं विचारण न्यायालय के सम्मुख उन्हें प्रस्तुत करना।

3- पंचनामा (धारा 194 से 196 बी0एन0एस0एस0)- पंचनामा रिपोर्ट का तैयार किया जाना (निर्धारित प्रारूप में)- राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के सुसंगत आदेश एवं निर्देश, चिकित्सीय परीक्षण

4- संदिग्ध अवस्था में शव (मृत्यु समीक्षा)

(1) उ**0**नि**0/**थानाध्यक्ष**/**कार्यपालक मजि**0** द्वारा पंचायतनामा तैयार करना एवं पोस्टमार्टम हेतु भेजे जाने वाले अभिलेखों का ज्ञान

(2) गड़े शव को जमीन में निकालने की प्रक्रिया

(3) अज्ञात शव की शिनाख्त के तरीके

5- मौखिक साक्ष्य का एकत्रीकरण

साक्षीगण, संदिग्धों एवं अभियुक्तों का परीक्षण दृश्य/श्रृव्य रिकार्डिंग सहित
बी0एन0एस0एस0 की धारा 179 से 183, 191, 343 से 345, भा0साक्ष्य अधिनियम 2023 धारा 22 से 24, 26 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) 22(1) एवं (2)

6- अभिलेखीय साक्ष्यों, **सम्पत्ति एवं भौतिक साक्ष्यों का एकत्रीकरण**- तलाशी एवं जब्ती, जब्ती सूची की तैयारियाँ (धारा 102,103,106,185 एवं 186 बी0एन0एस0एस0-धारा 56 से 92 भा.सा.अधि. 2023) जब्ती मेमो, तलाशी मेमों आदि तैयार करना व सुपुर्दगीनामा तैयार करना।

7- न्यायिक अभिरक्षा में अभियुक्तगण की कार्यवाही शिनाख्त तथा चोरी**/**लूट की सम्पत्ति की विवेचना के दौरान बरामदगी के उपरान्त उनकी कार्यवाही शिनाख्त कराया जाना**-**इस विषयक संबंधी विधिक प्राविधान।

8- केस डायरी **(**बी**0**एन**0**एस**0**एस**0** धारा **192)-**केस डायरी लिखना**,** साक्ष्य चार्ट एवं साक्ष्य का मेमों**,** धारा **179** के अन्तर्गत साक्षियों को सफीना भेजना**,** धारा **180** बी**0**एन**0**एस**0**एस**0** के अन्तर्गत बयान लिखना।

9- गिरफ्तारी**-**अभिरक्षा मेमो का तैयार किया जाना**,** आख्या का अग्रसारण**, (**धारा **35** से **61, 187, 478, 483** बी**0**एन**0**एस**0**एस**0),** हथकड़ी का प्रयोग एवं माननीय उच्चतम**/**उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देश

10- जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रस्तरवार आख्या तैयार करना

11- आरोप पत्र एवं अन्तिम रिपोर्ट दाखिल करना, मफरूरी की कार्यवाही

12- धारा 193 (9) बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत अग्रेतर विवेचना की कार्यवाही किये जाने की प्रक्रिया

13- विवेचना के सम्बन्ध में सुसंगत अभिलेख / थाने के रजिस्टरों / सी.सी.टी.एन.एस. साफ्टवेयर में प्रविष्टियाँ, जिला अपराध अभिलेख "शाखा, एस.सी.आर.बी., एन.सी.आर.बी. आदि में सूचना भेजना।

14- विवेचना के दौरान विदेश से विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों का संकलन, विधिक प्रक्रिया, प्रत्यार्पण सम्बन्धी प्रक्रियायें, इन्टरपोल से समन्वय स्थापित करना।

15- विवेचना, रिमांड, केस डायरी, अंतिम रिपोर्ट एवं आरोप पत्र पर अभियोजन विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही एवं कठिनाई के समय विधिक सलाह।

16- (अ) **विशिष्ट अपराधों की विवेचना किया जाना-**

- लूट एवं डकैती
- छेड़छाड़ एवं बलात्कार
- बलवा एवं आगजनी
- हत्या एवं दहेज हत्या
- अपहरण
- एन**.**डी.पी.एस**.** एक्ट के अपराध
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत की जाने वाली विवेचनायें

(ब) विवेचना का पर्यवेक्षण एवं प्रगति

- शरीर के विरूद्ध अपराध संबंधी विवेचना
- सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध संबंधी विवेचना
- सड़क दुर्घटना की विवेचना
- साइबर क्राइम संबंधी विवेचना
- गबन, बैंक धोखाधड़ी, एटीएम, क्रेडिट/डेबिड कार्ड, ई-ट्रान्जेक्शन, विदेशी अधिनियम, इन्श्योरेंस, वाणिज्य, डाकघर, रेलवे में धोखाधड़ी व प्रतिरूपण करके छल
- निरोधात्मक कार्यवाही-गुण्डा अधिनियम, गैगस्टर अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम,
- एक्साइज ऐक्ट/आर्म्स ऐक्ट/इलेक्ट्रीसिटी ऐक्ट/क्रिमिनल लॉ अमेन्डमेण्ट ऐक्ट आदि से सम्बन्धित विवेचनायें।

(स) अभियोजन

- गवाहों की समस्यायें और उनका निराकरण।
- अभियोगों से संबंधित माल मुकदमाती प्रदर्शों के रख-रखाव का ज्ञान

नोट- इस विषय का उद्देश्य प्रशिक्षुओं को वैज्ञानिक एवं कानून सम्मत विवेचना की कला से सुसज्जित करना है। व्याख्यान/दृश्य-श्रव्य/केस स्टडी/अनुरूपण अभ्यास एवं फील्ड भ्रमण जैसी क्रिया पद्धति का प्रयोग करते हुए विवेचना में विभिन्न चरणों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिक्षु अपराध की विवेचना स्वतंत्र रूप से कर सकने हेतु विश्वास से परिपूर्ण होना चाहिए। विवेचक की हैसियत से बी0एन0एस0एस0 के प्रावधानों के साथ-साथ राज्य पुलिस नियमों/विनियमों के सुसंगत प्रावधानों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

<u>प्रयोगात्मक</u>

कालाँश-**25** अंक-**50**

1- बी0एन0एस0एस0 धारा **- 36** गिरफ्तारी के ज्ञापन का आलेख तैयार करने का अभ्यास।

2- बी0एन0एस0एस0 धारा **- 48(3)** गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना नामित व्यक्ति को देने की सूचना का रो0आम में अंकित किया जाना।

3- बी0एन0एस0एस0 धारा **- 173** संज्ञेय अपराधों संबंधी सूचना का अंकन किया जाना।

4- बी0एन0एस0एस0 धारा **- 174** असंज्ञेय अपराधों संबंधी सूचना का अंकन किया जाना।

5- बी0एन0एस0एस0 धारा **- 179** साक्षियों को हाजिरी की अपेक्षा करने हेतु हेतु लिखित आदेश तैयार किया जाना।

6- बी0एन0एस0एस0 धारा **- 180** साक्षियों के कथनों को लेखबद्ध करने का अभ्यास। धारा **180(3)** का परन्तुक साक्षियों के कथनों को दृश्य, श्रृव्य इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा लिखे जाने का अभ्यास

7- बी0एन0एस0एस0 धारा **- 185** पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी की फर्द बनाया जाना।

8- बी0एन0एस0एस0 धारा **- 187** न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा हेतु आख्या प्रेषित किया जाना।

9- बी0एन0एस0एस0 धारा **- 189** साक्ष्य अपर्याप्त होने पर अभियुक्त को छोड़े जाने की आख्या तैयार करना।

10- बी0एन0एस0एस0 धारा **- 193** आरोप पत्र एवं अंतिम रिपोर्ट प्रेषित किया जाना।

11- बी0एन0एस0एस0 धारा **- 193 (9)** के अंतर्गत अग्रिम विवेचना हेतु मा0 न्यायालय के संज्ञान हेतु रिपोर्ट प्रेषित किया जाना।

12- बी0एन0एस0एस0 धारा **- 194** आत्म हत्या आदि पर पुलिस द्वारा जाँच करना अथवा रिपोर्ट का तैयार किया जाना।

13- बी0एन0एस0एस0 धारा **- 478/480** जमानत प्रार्थना पत्रों पर प्रस्तरवार आख्या तैयार किया जाना।

- जमानत निरस्तीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना।

14- पूछताछ आख्या तैयार किया जाना।

15- निम्न अधिनियमों के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आख्या प्रेषित किया जाना-

(क) बी0एन0एस0एस0 धारा 208, 217, 218

(ख) आयुध अधिनियम धारा 39

(ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा 11

(घ) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम धारा 7

- अपराध रजिस्टर लिखना
- पर्यवेक्षण आख्या लिखना
- विशेष अपराध पत्रावली पर केस डायरी का सारांश तथा क्रमागत आख्या लिखना
- किसी अपराध (जिसकी विवेचना पूर्ण हो चुकी है) की स्वत: पूर्ण रिपोर्ट तैयार करना
- किसी कानून व्यवस्था की घटना की रिपोर्ट तैयार करना।

(13) न्याय शास्त्र/न्यायालय व्यवस्था एवं अभियोगों का विचारण-

कालाँश**-30** पूर्णांक**- 50**

1. न्याय शास्त्र की परिभाषा
2. न्याय की अवधारणा
3. एडवोकेट जनरल/ गर्वमेण्ट एडवोकेट/ मुख्य स्थायी अधिवक्ता/ एडवोकेट आन रिकार्ड/डीजीसी क्रिमिनल एवं सिविल/जिला स्तरीय अभियोजन अधिकारी की संस्थायें व उनके कार्य।
4. Legal Remembrancer Manual (L.R. Manual)
5. स्थगनादेश
6. सम्मन वारण्ट तामीला
7. अभियोजन रिकार्ड, कॉजलिस्ट आदि का अध्ययन
8. अभियुक्तों की रिमान्ड आख्या तैयार करना
9. गवाहों को पेश करना, गवाहों की समस्या एवं उनका निराकरण।
10. मौखिक साक्ष्य देने की विधि
11. अभिलेखीय/विशेषज्ञ साक्ष्य व अन्य प्रदर्शकों का न्यायालय में प्रस्तुतिकरण
12. माल मुकदमाती, बरामदगी को थाना मालाखाना एवं सदर मालखाना में रखना तथा निर्णय के बाद नष्ट करना।
13. मॉनीटरिंग सेल मीटिंग
14. नैरेटिव/ काउण्टर एफीडेविट बनवाना
15. रिट याचिकायें/ अवमानना याचिकायें

(14) विविध अधिनियम-

कालाँश**-70** अंक**-75**

<u>सैद्धान्तिक</u>

कालाँश**-60** अंक**-50**

<u>केन्द्र के प्रमुख ऐक्ट</u>

1- पुलिस अधिनियम, 1861 धारा 1, 2, 4, 5, 7 से 9, 15 से 32, 34 व 44
2- पुलिस बल (अधिकारों का निर्बन्धन) अधिनियम 1966- सम्पूर्ण
3- पुलिस (द्रोह उद्दीपन) अधिनियम 1922 धारा 2, 3, 5, 6

4- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006- सम्पूर्ण
5- विद्युत अधिनियम-2003 धारा 2, 135 से 155 तक
6- भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 धारा 2, 137 से 182
7- शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 धारा 2, 3 से 13 तक
8- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 2 से 11 तक, 20, 23, 24
9- किशोर न्याय (बालकों की देख रेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015) धारा 2, 4 से 7, 10 से 13, 21, 22, 26, 27, 31 से 34, 39, 50, 74 से 78 तक, 79, 81, 83, 84, 94, 107, एवं नियमावली 2016 यथा संशोधित
10- अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 धारा 2 से 10, 13 से 20 तक
11- स्वापक द्रव्य एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 धारा 1, 2, 8, 15 से 30, 36, 37, 42 से 44, 49 से 53, 55, 57, 58, 60, 61, 68
12- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 धारा 2, 7 से 15, 17, 18, 19, 20, 24
13- आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 - सम्पूर्ण
14- दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 धारा 2 से 8
15- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 यथा संशोधित 2015, धारा 1 से 7, 10 से 16 एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियमावली 1995 यथा संशोधन नियम 6, 7, 10
16- शस्त्र अधिनियम 1959 धारा 1 से 9, 13 से 17, 19 से 22, 25 से 30, 35 से 39 व 45
17- विस्फोटक अधिनियम 1884 धारा 4, 5, 9बी, 12, 13
18- विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 सम्पूर्ण
19- विधि विरूद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1967 धारा 1 से 3, 7, 8, 10 से 25, 35 से 40, 43 से 46, अनुसूचित सहित
20- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 धारा 2 से 8, 12, 13 व 15
21- वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 धारा 50, 51 व 55
22- मोटर वाहन अधिनियम 1988 धारा 2 से 5, 39, 62, 112, 132, 133, 177, 179, 183, 184, 185, 192, 192ए, 194, 196, 197, 202 से 207 तक
23- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 2, 125 से 136 (संशोधनों सहित)
24- सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति निवारण अधिनियम 1984 धारा 2 से 5
25- प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957(कॉपी राइट ऐक्ट) धारा 2, 3, 14, 52ए, 63, 63क, 64, 65, 68क
26- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (यथा संशोधित वर्ष 2009) धारा 65 से 78
27- राष्ट्रीय गरिमा के अपयनन का निवारण अधिनियम 1971 -सम्पूर्ण
28- राज्य द्रोहात्मक सभाओं का निवारण अधिनियम 1966- धारा 2, 3, 5, 6, 8
29- बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम-2012 धारा 2 से 27, 34 व 42
30- आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 धारा 2, 3, 6, 7 से 11 (संशोधनों सहित)
31- महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक शोषण (रोकथाम, निषेध एवं उपचार) अधिनियम-2013 धारा 2 से 27
32- भारतीय वन अधिनियम 1927 धारा 2, 3, 5, 26, 29, 30, 33, 34, 41, 52 से 58, 63, 64, 65, 66, 70, 77, 79

<u>राज्य के प्रमुख एक्ट</u>

1- उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम 1970 धारा 02 से 09
2- उ0प्र0 आबकारी अधिनियम 1910 धारा 48 से 72
3. उ0प्र0 सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 धारा 2, 3 से 9, 13, 13ए, 14, 16
4. उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निषेध) अधिनियम 1992 धारा 2 से 12

5. उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 धारा 2 से 4, 14, 19(नवीन संशोधन सहित)
6. एण्टी भूमाफिया टास्क फोर्स स्थापित करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या: 491/एक-2-2017-1(सामान्य)2017 दिनांक 16.05.2017
7. उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 धारा 3, 4, 10 व 11
8. उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 धारा 1 से 7
9. बंदियों की पहचान अधिनियम 1920 धारा - 2, 3, 4 , 5, 6
10. उ0प्र0 बंदी अधिनियम 1900 धारा 2 से 5 तक, धारा 7, 9, 10, 11, 13 एवं जेल मैनुअल - 1894 कैदियों से सम्बन्धित पैरा 1, 7, 8, 12, 15, 20, 46, 60, पैरा 61, 71, 94, 112, 127, 128 तथा उ0प्र0 बन्दियों के दण्डादेश का (निलम्वन एवं परिहार) नियमाली 2007 यथासंशोधित।
11. उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 63, 64, 65 व 129

प्रयोगात्मक

कालाँश-10 **अंक-25**

1. धारा 52 स्वापक द्रव्य एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अन्तर्गत गिरफ्तारी किए गए व्यक्तियों और अभिगृहीत वस्तुओं का निपटारा।
2. धारा 52क एन0डी0पी0एस0 एक्ट-समपहृत की गई स्वापक औषधियों एवं साइकोट्रॉपिक पदार्थों के निस्तारण की रिपोर्ट।
3. स्वापक द्रव्य एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 57 के अंतर्गत गिरफ्तारी और अभिगृहण की रिपोर्ट।
4. धारा 36अ(4) स्वापक द्रव्य एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम- धारा 19 अथवा 24 अथवा 27 के अधीन दण्डनीय अपराध की विवेचना 180 दिन के भीतर पूर्ण न होने पर रिमाण्ड अवधि बढ़ाये जाने की आख्या दिया जाना।
5. विधि विरूद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के अधीन अपराध का अन्वेषण 90 दिन में पूर्ण न होने पर रिमाण्ड अवधि बढ़ाने हेतु धारा 43घ (2ख) के अन्तर्गत रिपोर्ट दिया जाना।
6. निष्कासित गुण्डे द्वारा आदेश का उल्लंघन करते हुए पुन: प्रवेश आदि पर धारा 11 के अंतर्गत उसको हटाये जाने आदि की रिपोर्ट दिया जाना।
7. उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 72 के अन्तर्गत जब्ती की रिपोर्ट दिया जाना।
8. किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत रखरखाव और संरक्षण से उपेक्षित बालक के सम्बन्ध में रिपोर्ट दिया जाना। सार्वजनिक जुआ अधिनियम तलाशी वारन्ट जारी करने हेतु धारा 5 के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक को आख्या दिया जाना।
9. उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु गैंग चार्ट तथा गैंग चार्ट अनुमोदन हेतु थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा आख्या दिया जाना।
    - धारा 14(1) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध में अर्जित सम्पत्ति जब्ती की आख्या तैयार करना।
    - आरोप पत्र का अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी आख्या तैयार करना तथा सुसंगत "शासनादेश की जानकारी देना।

नोट- प्रवक्ताओं द्वारा नवीनतम संशोधनों / केस लॉ का विशेष उल्लेख किया जायेगा।

(15)- कानून व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था की स्थापना, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन एवं मोटर तकनीक तथा यातायात प्रबन्धन-

कालाँश: 30 **पूर्णांक: 75**

(क) <u>कानून व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था की स्थापना</u> :-

1- लोक व्यवस्था का अर्थ व महत्व तथा शान्ति बनाये रखना
2- भीड़ नियंत्रण के सिद्धांत तथा जवाबी रणनीति, अभिसूचना संकलन, प्रोएक्टिव पुलिसिंग एवं तद्नुसार पुलिस व्यवस्था प्रबन्धन, विधिक उपाय, भीड़ के व्यवहार का विश्लेषण, परामर्श एवं मध्यस्थता
3- भीड़ को नियंत्रित करने में कम से कम घातक शस्त्रों का प्रयोग
4- बल प्रयोग एवं पुलिस द्वारा गोली चलाना
5- दंगे एवं दंगा नियंत्रण योजना का अद्यावधिक किया जाना एवं उसका रिहर्सल
6- आन्तरिक सुरक्षा योजना
7- बड़े पैमाने (रैली, मेला, बन्द, हड़ताल, सरकारी भर्ती, राजनैतिक व अन्य यूनियनों का धरना प्रदर्शन) पर पुलिस बन्दोबस्त योजना, पुलिस बल का व्यवस्थापन एवं गतिशीलता, ब्रीफिंग, कैम्पिंग, रोटेशन इत्यादि
8- कानून एवं व्यवस्था से सम्बंधित अभिलेखीकरण एवं रिर्पोटों का प्रेषण, अभिलेखों का विश्लेषण एवं संसाधनों का आंकलन।
9- असमाजिक तत्वों की प्रविष्टि सम्बंधी अभिलेख (पूर्व अपराधिक इतिहास, वर्तमान गतिविधि, पहचान करना व इनके विरूद्ध कार्यवाही करना)
10- शांति व्यवस्था सम्बंधी बीट, गश्त तथा पिकेट्स

(ख) <u>सुरक्षा</u>-

1- सुरक्षा के प्रमुख सिद्धान्त
2- वी0आई0पी0 सुरक्षा के विशेष नियम, ब्लू बुक व इस विषय पर समय-समय पर निर्गत निर्देशों की जानकारी।
3- Threat perception (अभित्रास की परिकल्पना) का आंकलन तैयारी एवं तैनाती,
4- महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों/महत्वपूर्ण सरकारी व गैर सरकारी भवन (सिनेमा हाल, शापिंग मॉल व भीड़-भाड़ वाले स्थान/ हवाई अड्डों/ रेलवे स्टेशनों/ बस स्टॉप/ सीमा की सुरक्षा
5- विदेशियों का पंजीकरण एवं संचालन नियम (आवागमन पर निगाह रखना)
6- अभिसूचना संकलन।
7- गार्ड एवं एस्कोर्ट रूल्स

(ग) <u>आपदा प्रबन्धन</u>-

1- आपदा प्रबन्धन के मूल सिद्धांत

(1) रेल दुर्घटनायें/सड़क दुर्घटनायें
(2) अग्नि-काण्ड
(3) विस्फोट
(4) अचानक भवन गिरना
(5) औद्योगिक दुर्घटना
(6) भगदड़

2- आपदा प्रबन्धन

- आपदा प्रबन्धन की राष्ट्रीय आपदाओं के संबंध मे राज्य/जिला स्तरीय योजनायें
- आपदा प्रबन्धन के सम्बन्ध में पुलिस की भूमिका एवं अन्य विभागों, गैर सरकारी संस्थाओं से सांमजस्य ***Disaster Management (***आपदा प्रबन्धन***) Act-2005*** तथा उत्तर प्रदेश में ***State Disaster Response Force (***प्रान्तीय आपदा बचाव दल***)***
- अन्य आपदायें/बडी दुर्घटनायें- रेल / सड़क दुर्घटनाए, अग्निकाण्ड, विस्फोट, अचानक भवन गिरना, औद्योगिक दुर्घटना, भगदड़ इत्यादि के दौरान कार्ययोजना एवं उत्तरदायित्व
- गम्भीर दुर्घटनाओं/आपदाओं के दौरान घटित होने वाले सामान्य अपराध तथा उसके नियन्त्रण हेतु पुलिस कार्यवाही
- उत्तर प्रदेश में बाढ़ का परिदृश्य, बाढ़ पीड़ितों के बचाव, सहायता एवं पुनर्वास केस अध्ययन, बाढ़ राहत कार्यो में पुलिस की भूमिका

(घ) <u>मोटर तकनीक तथा यातायात प्रबंधन</u> :-

1. **मोटर तकनीक-**
   1 - मोटर गाड़ियों के बारे में सामान्य जानकारी- भारी गाड़ी, हल्की गाड़ी तथा उसके पंजीकरण, फिटनेस का ज्ञान
   2 - मोटर गाड़ियों का निरीक्षण
   3 - मोटर गाड़ियों से सम्बंधित अभिलेख- लॉग-बुक, रन रजिस्टर, कार डायरी व अन्य अभिलेख।
   4 - स्टॉक बुक- पैट्रोलियम, पाटर्स एवं अन्य लूब्रीकेन्ट्स
2. **यातायात प्रबंधन** -
   1- यातायात पुलिस का संगठन एवं प्रशासन
   2- यातायात प्रबन्धन एवं व्यवस्था के सिद्धांत, प्रशिक्षण, काउन्सिलिंग।
   3- एम0वी0 ऐक्ट एण्ड रूल्स, प्रवर्तन, शमन, चालान, जब्तीकरण इत्यादि कार्यवाहियाँ
   4- सड़क प्रयोग के नियम (राष्ट्रीय मार्ग) शिष्टाचार, यातायात सुरक्षा सम्बंधी ज्ञान, ट्रैफिक चिन्हों का ज्ञान
   5- यातायात सर्वे, ट्रेफिक बीट एवं गश्त
   6- दुर्घटना प्रबंधन (Trauma care)
   7- पुलिस अधिकारी का यातायात प्राधिकारी एवं अन्य एजेन्सियों से समन्वय
   8- यातायात अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण
   9- रोड रूल्स रेगुलेशन, ट्रैफिक कन्ट्रोल एण्ड डायवर्जन प्लान
   10- भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय एवं राज्य सरकार परिवहन विभाग के द्वारा निर्गत लाल नीली बत्ती के सबंध में नियम व आदेश
   11- अन्य विभाग एवं सरकारी/गैर सरकारी एजेन्सियों से समन्वय

(16) पत्र व्यवहार, अधिष्ठान एवं पुलिस लाइन प्रबन्धन-

कालाँश-45 पूर्णांक-**100**

<u>सैद्धान्तिक</u>

कालाँश-**35** पूर्णांक-**75**

1- उपार्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति, मातृत्व/ चाइल्ड केयर लीव/एल0टी0सी0 , विभिन्न भत्तों आदि से संबंधित नियमावली एवं शासनादेशों की जानकारी, वित्तीय नियम संग्रह के अन्तर्गत वेतन, वेतन वृद्धि, निलम्बन भत्ता, यात्रा भता, के नियमों की जानकारी।
2- उ0प्र0 राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली **1956** सामान्य परिचय**, 1991/1999** कर्मचारी आरचरण नियमावली**,** उ0 प्र0 पुलिस सेवा नियमावली – 2016, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (दण्ड एवं अपील) नियमावली**-1999,** विभिन्न रैंकों की सेवा नियमावलियाँ**-** पुलिस उपाधीक्षक**,** निरीक्षक**,** उपनिरीक्षक**,** मुख्य आरक्षी**,** आरक्षी, लिपिक संवर्ग**,** मोटर वाहन**,** पी0ए0सी0 आदि।
3- जाँच कैसे की जाए (वार्ता एवं व्यवहारिक ज्ञान)
4- प्रभावी लेखन की तकनीक
5- उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991
6- अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित सेवाभिलेख यथा- चरित्र पंजिका, सेवा-पुस्तिका, सेवा पत्रावली आदि का रख-रखाव
7- पुलिस आफिस मैनुअल
8- वर्दी के नियम (ड्रेस रेगुलेशन)
9- पुलिस के विभिन्न शाखाओं के अभिलेख
10- पुलिस लाइन एवं उसकी विभिन्न शाखाओं के अभिलेख / निरीक्षण
11- पुलिस कर्मियों से संबंधित लाभकारी योजनाएं

प्रयोगात्मक

कालाँश-10 **पूर्णांक-*25***

1- पत्राचार एवं रिपोर्ट लेखन
2- जाँच आख्या लिखना
3- मौखिक वक्तव्य
4- विभागीय कार्य की रिपोर्ट
5- पुलिस लाइन की विभिन्न इकाईयों का निरीक्षण लिखना

(17) वित्तीय नियम, बजट तथा लेखा-

कालाँश-30 **अंक-50**

1- बजट मैनुअल- बजट का तैयार किया जाना, विभिन्न प्रकार के लेखा-शीर्षकों, ग्राण्ट आदि का ज्ञान
2- वित्तीय नियम- फाइनेन्शियल हैण्ड बुक-Vol-1 (वित्तीय अधिकार एवं अधिकारों का प्रतिनिधायें)
3- फाइनेन्शियल हैण्ड बुक-Vol-III, T.A. rules
4- मूल नियमावली—वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-2 (2 से 4)
5- अधीनस्थ नियमावली--वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-2 (2 से 4)
6- फाइनेन्शियल हैण्ड बुक-Vol-V, Part-I, Account rules
7- आहरण एवं वितरण अधिकारी के दायित्व
8- ट्रेजरी आफिस की कार्य प्रणाली एवं सॉफ्टवेयर
   (A) पुलिस विभाग में चल रहे निम्न सॉफ्टवेयर का व्यवहारिक ज्ञान-
      (1) पे-रोल सिस्टम
      (2) नामिनल रोल सिस्टम
   (B) ट्रेजरी में प्रचलित विभिन्न सॉफ्टवेयर की सामान्य जानकारी यथा- कोषवानी।
   (C) जी0पी0एफ0 लिंक सॉफ्टवेयर की सामान्य जानकारी।
   (D) शमन शुल्क संबंधी सॉफ्टवेयर की सामान्य जानकारी।
   (E) जी0पी0एफ0 पासबुक पर इन्ट्रैक्ट सॉफ्टवेयर की सामान्य जानकारी।
   (F) कम्प्यूटर एप्लीकेशन- agup.nic.in बेवसाइट में उपलब्ध पुलिस से सम्बन्धित अकाउण्ट सॉफ्टवेयर की जानकारी
9- वेतन तथा भत्ते, यात्रा भत्ते, अवकाश यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, कण्टीजेन्सी बिल आदि के बनाये जाने से सम्बन्धित नियम
10- सेवा निवृत्ति / मृत्यु होने पर अनुमन्य विभिन्न लाभ
11- सेवाकाल में कर्तव्य पालन के दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों को मिलने वाले विभिन्न लाभ
12- आंकिक शाखा के कार्य एवं उसके अभिलेख, स्थायी/अस्थायी अग्रिम, क्रेडिट ऑर्डर, राजकीय रोकड़ बही, प्राईवेट फण्ड से सम्बन्धित कैश बुक आदि का रख-रखाव
13- जी0पी0एफ0, पासबुक, लेजर आदि का रखरखाव, जी0पी0एफ0 स्थायी/अस्थायी अग्रिम, राजकीय सामूहिक बीमा योजना आदि
14- पुलिस जनों के कल्याण की विशेष व्यवस्थायें- राज्य सुख सुविधा फण्ड, कल्याण निधि, छात्रवृति, साइकिल, मोटर साइकिल एवं भवन निर्माण के लिये अग्रिम धन प्राप्त करने के नियम

(18) प्रबन्धन के सिद्धान्त एवं मानव मनोविज्ञान-

कालाँश: **50** पूर्णांक: **75**

सैद्धान्तिक

कालाँश: **40** पूर्णांक: **50**

(1) प्रबन्ध की प्रस्तावना -

1. प्रबन्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: कौटिल्य, एफ.डब्लू. टेलर, एल्टन मेमो इत्यादि के विचारों के संदर्भ में।
2. प्रबंधन के सिद्धान्त: पुलिस संगठन के परिप्रेक्ष्य में उनकी सार्थकता।
3. व्यवस्थापरक दृष्टिकोण: (Systems approach) पुलिस संगठन के परिप्रेक्ष्य में इसकी समीक्षा।

(2) नियंत्रण

प्रबंधन एवं मानव व्यवहार

1. व्यवहार का मनोविज्ञान (Behaviour Psychology)
2. व्यवहार को प्रभावित करने वाले सामाजिक- मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक कारक
3. संगठन व्यवहार (Organisation Behaviour)
4. व्यक्तित्व के सिद्धान्त (Theory of Personality)
5. छवि निर्माण (Image Building)
6. प्रेरणा (Motivation)
7. समूह गत्यात्मकता (Group Dynamics)
8. अंत: समूह संबंध (Inter group Relationship)
9. संघर्ष का प्रबन्धन पर नियंत्रण (Management & Conflict)
10. समझौतावादी दृष्णिकोण (कौशल) (Negotiation Skill)
11. समूह/टीम निर्णाण (Team building)
12. नेतृत्व एवं नेतृत्व शैली (Leadership and Leadership Styles)
13. प्रेरणा एवं प्रेरणा कौशल (Motivation and Motivation Skill)
14. समय प्रबंधन (Time Management)
15. तनाव प्रबंधन (Stress Management)
16. संवाद शैली/ संचारण शैली (Communication Skill)

S. No.	Contents
1.	Effective Verbal Communication – Importance (प्रभावी मौखिक संसूचना का महत्व)
2.	Techniques of Effective Communication (प्रभावी संसूचना की तकनीक)
3.	Observation & Narration (ऑकलन एवं संवाद)
4.	When to speak (कब बोलना है)
5.	When not to speak (When need to be silent) (कब नहीं बोलना एवं कब शान्त रहना)
6.	Body language while speaking (बोलते समय शारीरिक भाव भंगिमा)
7.	Extempore Speech (बिना तैयारी के बोलना)
8.	Prepared Speech (तैयारी के साथ बोलना)
9.	Debates (वाद-विवाद)
10.	Declamation on famous Speeches (भावनात्मक व्याख्यान)
11.	Recitation (स्वर पाठ)
12.	Group Discussions (समूह संवाद)

(3) नैतिक पुलिसिंग-

पुलिस पब्लिक इण्टरफेस, विधि के अनुसार सहमति एवं सहयोग से पुलिसिंग शिष्टाचार

(4) **<u>व्यक्ति, समूह एवं संस्थाओं से संबंध</u>-**

निम्न से संबंध व उनको समझना **-**

1- स्त्रियाँ एवं बच्चे
2- युवा**/** विद्यार्थी
3- अल्पसंख्यक
4- कृषक एवं भूमिहीन कृषक**/** मजदूर
5- व्यापारी वर्ग **/** व्यवसायिक समूह
6- मीडिया**-**प्रेस काउन्सिल ऐक्ट**,** प्रिन्टिंग प्रेस ऐक्ट**,** बुक रजिस्ट्रेशन**,**
7- जन प्रतिनिध **(**सांसद**,** विधायक एवं अन्य नेतागण।**)**
8- मानवाधिकार संगठन
9- उच्चाधिकारी
10- न्यायालयों से संबंध।
11- एक अच्छे पुलिस अधिकारी के गुण
12- पुलिस का जनता के साथ व्यवहार-इसका महत्व, परिवर्तन की आवश्यकता, परिवर्तन कारित करने के तौर-तरीके
13- विभिन्न पुलिस ईकाइयों द्वारा पुलिस कर्म में अपनायी गयी अच्छी प्रथायें

<u>प्रयोगात्मक</u>

कालाँश-10 **पूर्णांक-25**

1- संभाषण
2- मीडिया साक्षात्कार
3- उत्तेजित व्यक्ति/समूह से वार्ता
4- किसी पुस्तक पर संक्षिप्त लेख तथा प्रस्तुतीकरण

(19)-अन्तर्विभागीय समन्वय एवं सामंजस्य-

कालाँश**: 25** पूर्णांक**: 50**

1- राजस्व विभाग- राजस्व परिषद
2- कार्यपालक मजिस्ट्रेट
3- न्यायपालिका
4- अभियोजन- एल0आर0 मैनुअल
5- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
6- वन विभाग
7- आबकारी विभाग
8- रेलवे प्रशासन
9- केन्द्रीय पुलिस संगठन
10- सेना/ वायुसेना

(20) कम्प्यूटर-

कालाँश**: 90** पूर्णांक**: 100**

<u>सैद्धान्तिक</u>

कालाँश**-60** अंक**-60**

1- कम्प्यूटर का पुलिस विभाग में प्रयोग एवं उपयोगिता।

2- कम्प्यूटर एवं इसके हिस्सों से परिचय-हार्डवेयर और डाटा स्टोरेज उपकरण-जैसे पैन ड्राइव आदि सॉफ्टवेयर

3- इन्टरनेट का उपयोग – TCP / IP Protocol, IP Address Scheme, Digital Signature

4- साइबर अपराध Investigation-

(i) Overview and types of Cyber Crime-Legal Framework: BNS / Special Laws

(ii) IT Act 2000 (as amended 2008) and relevant provisions in other Acts and BSA 2023

(iii) Digital Evidence

(a) Identification and seizure

(b) Procedure for collection of digital evidence

(c) Panchmama & seizure proceedings

(d) Chain of Custody & Digital evidence collection form

(e) Legal procedure to be followed post seizure of evidence

(f) Cyber forensics, tools and techniques

(1) Forensic SIM Card / Memory Card reader and extraction of data

(2) Data Acquisition / Imaging device : Hard drives, Mobile Phones, USB drives, Digital Camera and Other digital equipment

(3) Hashing, imaging, analyzing

(4) Deleted data recovery

(5) E-mail Tracer

(g) Conducting Interrogation

(h) Roadblocks in cyber crime investigations

5- Electronic Surveillance

(i) Gathering information from social Media / networking sites like Facebook, Instagram etc.

(ii) Mobile Communications- Basics, terminology used

(iii) Call spoofing, VoIP tracing

(iv) Requisitioning of CDR / IPDR and other records from TSPs

(v) CDR / IPDR Analysis, Data Analysis based on Cell Id, IMEI, Mobile No. and internet usage

(vi) Legal framework - Indian Telegraph Act Section 5, 419A Indian Telegraph Rules, Information Technology Act 2000 (as amended 2008) and relevant rules

6- Case Studies and Semulation Exercises

(i) Email Threat / Fake profile / Morphing of images

(ii) Economic offences

7- Use of Drone in law & Order / Crime control

8- CCTV footage Analysis

9- CCTNS

CTNS **के विषय में जानकारी**

1. IIF- 1 (FIRST INFORMATION REPORT) प्रथम सूचना रिपोर्ट

IIF- 2 (DETAILS OF INVESTIGATION) अपराध विवरण
IIF- 3 (ARREST / SURRENDER) गिरफ्तार / आत्मसमर्पण
IIF- 4 (PROPERTY SEIZURE) सम्पत्ति जब्ती
IIF- 5 (FINAL REPORT / CHARGE SHEET) अन्तिम रिपोर्ट / आरोप पत्र

2. Prosecution Module
   IIF- 6 (COURT DISPOSAL FORM)
   IIF- 7 (RESULT OF APPEAL FORM)
3. Data Bank Module - Vehicle Theft
4. Citizen Services Module – UP COP
5. Extension Module
6. Central Services

10- Softwares / Apps in police department

- Heinous Crime Monitoring System
- Missing persons
- Track the Missing child
- Unidentified Bodies
- Stolen Vehicle Query (NCRB)
- E- Prisons
- NAFIS
- E-CHALLAN
- TRINETRA
- PRAHARI

प्रयोगात्मक

कालाँश**-50** अंक**-40**

Role- based CCTNS Application Training (CAS)

1-सामान्य दैनिकी -

- सामान्य दैनिकी का पंजीकरण
- सामान्य दैनिकी को देखें

2-शिकायत-

- नई शिकायत का विवरण जोड़े
- शिकायत का पंजीकरण देखें
- शिकायतों का जोड़ना और हटाना
- शिकायत का स्थानान्तरण
- शिकायत के लिए जांच अधिकारी की नियुक्ति/ पुन: नियुक्ति
- शिकायत जांच रिपोर्ट स्वीकृत/ अस्वीकृत करना

3-पंजीकरण -

- जनरल डायरी
- प्राथमिकी- आई0आई0एफ0 प्रथम का पंजीकरण
- गैर संज्ञेय रिपोर्ट का पंजीकरण
- चिकित्सीय न्यायिक मामला (एम0एल0सी0)
- लापता व्यक्ति
- खोई हुई संपत्ति
- लापता मवेशी
- अज्ञात मृत शरीर/अस्वाभाविक मृत्यु
- सी- फार्म
- लावारिस /परित्यक्त संपत्ति
- अज्ञात व्यक्ति
- अजनबी के रोल
- आग हादसा

4-जांच -

- अपराध विवरण- आई0आई0एफ0 द्वितीय
- गिरफ्तार / आत्मसमर्पण- आई0आई0एफ0 तृतीय
- जमानत विवरण
- सम्पत्ति जब्ती- आई0आई0एफ0 चतुर्थ
- मामले का पुन: आवंटन
- पूछताछ प्रपत्र
- अंतिम प्रपत्र - आई0आई0एफ0 पंचम्
  - अन्तिम पत्र
  - आरोप पत्र
- केस डायरी
- आपराधिक फाइल
- प्रकरण प्रगति रिपोर्ट
- उद्घोशित अपराधी
- आपराधिक रूपरेखा
- व्यक्तिगत खोज ज्ञापन की तैयारी
- रिमांड प्रपत्र
- सम्पत्ति संचलन चालान/ रसीद
- बाहरी संस्थाएं

5-अभियोजन -

- वारंट
- कोर्ट केस संख्या
- कोर्ट ट्रायल विवरण
- कोर्ट केस निपटान फार्म - आई0आई0एफ0 षष्टम्
- अपील के फार्म का परिणाम - आई0आई0एफ0 सप्तम्
- जेल विस्तार से जोड़ें
- सम्पत्ति के मालखाना से रिलीज के लिए कोर्ट में आवेदन।

परिशिष्ट-2

पुलिस उपाधीक्षक (अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती) बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की विस्तृत विषय वस्तु-

(1) (पदाति प्रशिक्षण)

कालांश- 50 **अंक- 100**

क्र0सं0	विवरण	कुल कालांश
1	पदकवायद (बिना शस्त्र)	16
2	स्क्वाड ड्रिल (शस्त्र सहित)	10
3	कमाण्ड लीडरशिप (शस्त्र सहित)	10
4	शस्त्र ड्रिल (शस्त्र सहित)	6
5	सडक पंक्ति/वाहन प्रबन्ध (शस्त्र सहित)	4
6	सोर्ड ड्रिल	2
7	केन ड्रिल	2
	योग-	**50**

(2) (शस्त्र प्रशिक्षण)

कालांश- 50 **अंक- 90**

क्र0सं0	विवरण	कुल कालांश
1	9 एमएम कार्बाइन	5
2	9 एमएम पिस्टल/एमपी-5	10
3	38 रिवाल्वर	5
4	पी0एम0एफ0	1
5	7.62 एमएम एस0एल0आर0	5
6	7.62 एमएम ए0के047/ए0के0 56 रायफल	4
7	5.56 एमएम इन्सास	4
8	एल0एम0जी0	2
9	आरमोररवर्क-रिवाल्वर/रायफल /पिस्टल	4
10	टीयरस्मोक गन/टी0एस0ग्रेनेड/स्टन ग्रेनेड/डाई मार्का ग्रेनेड	4
11	12 बोर पम्प एक्शन गन/एन्टी रायटगन/बज्र वाहन	4
12	मिर्चीबम ,पेपर स्प्रे, स्पेड	2
	योग-	**50**

(3) (शस्त्र फायरिंग)

कालांश- 22 **अंक- 60**

क्र0सं0	विवरण	कुल कालांश
1	5.56 एमएम इन्सास रायफल	4
2	38 रिवाल्वर/9 एमएमपिस्टल	4
3	9 एमएम कार्बाइन	2
4	7.62 एमएम एस0एल0आर0	2
5	7.62 एमएम ए0के047/ए0के0 56 रायफल	2
6	फेडरल गैस गन	2
7	पम्प एक्शन गन	2
8	एण्टीरायट गन (रबर बुलेट)	2
9	चिलीबम / पेपर स्प्रे / स्पेड	2
	योग-	**22**

(4) (शरीरिक प्रशिक्षण / यू0ए0सी0 / योगा का मदवार विवरण)

कालांश – 620 **अंक- 400**

क्र0सं0	विवरण	कुल कालांश
1	पी0टी0/एपरेटस वर्क/आब्सटिकल कोस /रोडवॉक एण्ड रन / क्रासकन्ट्री / लॉग डिस्टेंस क्रासकन्ट्री / शरीरिक दक्षता परीक्षा (पी0ई0टेस्ट)	588
2	यू0ए0सी0	16
3	योगा	16
	योग-	**620**

(5) (यातायात नियन्त्रण ड्रिल)

कालांश -10 **अंक- 20**

क्र0सं0	विवरण	कुल कालांश
1	ड्राईवर के संकेत	2
2	ट्रैफिक के संकेत (हाथ द्वारा)	2
3	ट्रैफिक रडार	2
4	रोड लाइन्स	2
5	पार्किंग	2
	योग-	**10**

(6) भीड नियन्त्रण (बलवा) ड्रिल

कालांश - 20 **अंक- 20**

क्र0सं0	विवरण	कुल कालांश
1	बलवा	14
2	बेंत ड्रिल	4
3	टियर स्मोक व रबर बुलेट	2
	योग-	**20**

(7) (फील्ड क्राफ्ट टैक्टिक्स एवं जंगल ट्रेनिंग)

कालांश -30 **अंक- 75**

क्र0सं0	विवरण	कुल कालांश
1	फील्ड क्राफ्ट एवं टैक्टिक्स	30
	योग-	**30**

(अ)-फील्ड काफ्ट-

1. देखभाल - 1- जमीन का अध्ययन
   2- चीजें क्यों नजर आती हैं।
   3- छदम व छुपाव।
   4- फासले का अनुमान लगाना।
   5- रात्रि सन्त्री के कर्तव्य।
2. जमीनी निशानों, टारगेटों का बयान व पहचान।
3. फायर कन्ट्रोल आर्डर एवं (अनुशासन)।
4. खाली हाथ व हथियार के साथ हरकत करना (जंगी चालें)।
5. सामान्य रूकावटों को पार करना व फायर पोजिशन चुनना।
6. दिन व रात के वक्त दुश्मन की ताक में दबे पांव चलना।

(ब)-टेक्टिक्स आदि-

1. फौजी टेक्टिकल शब्दों का ज्ञान।
2. आतंकवादी क्षेत्रों में पुलिस पोस्ट लगाना।
3. मोबाइल चेक पोस्ट लगना।
4. सेक्शन व प्लाटून फार्मेशन एवं चांस एनकाउन्टर।
5. स्काउट।
6. पेट्रोलिंग।
7. बर्बल ऑर्डर तथा ब्रीफिंग।
8. रोड ब्लाक ध् कानवॉय स्कॉर्ट।
9. फील्ड सिगनल।
10. रेंज कार्ड बनाना।
11. बूबी ट्रेप्स।
12. एम्बुश व काउण्टर एम्बुश।
13. दबिश ।

14. गांव, मकान व खेत में छिपे अपराधियों को गिरफ्तार करना।
15. बस व रेल से यात्रा के समय अपराधियों को गिरफ्तार करना।
16. काउण्टर इन्सरजेन्सी अभियान घेराबन्दी, ड्राइव फॉर हण्ट, फायर फ्लश, कांम्बिंग, तलाशी।
17. मैप रीडिंग- सामान्य जानकारी सेट करना, कम्पास की सहायता से रात्रि में मार्च करना आदि।
18. नाइट नेविगेशन-पार्टियों के बारे में जानकारी, नाईट मार्च, चार्ट बनाना, नेविगेशन पार्टी की मदद से नाइट मार्च।
19. सैण्ड मॉडल- सामान्य जानकारी, ब्रीफिंग का तरीका आदि।

(8) (अश्वारोहण प्रशिक्षण)

कालांश - 30 **अंक- 75**

क्र0सं0	विवरण	कुल कालांश
1	अस्तबल प्रबन्ध	2
2	सैडलिंग /ब्रिडलिंग	4
3	टर्नआउट चढना/एवं उतरना	6
4	कदम चाल	6
5	ढुलकी चाल (ट्रॉट)	6
6	धीमी सरपट (केन्टर)	6
	योग-	**30**

(9) (मोटर ड्राईविंग)

कालांश - 30 **अंक- 30**

क्र0सं0	विवरण	कुल कालांश
1	ड्राईवर फारवर्ड	10
2	ड्राईविंद रिवर्स	8
3	दियेगये आकार मे फारवर्ड व रिवर्स ड्राईविंग	5
4	टैक्टिकल ड्राइविंग	7
	योग-	**30**

(10) (तैराकी)

कालांश - 30 **अंक- 30**

क्र0सं0	विवरण	कुल कालांश
1	तैराकी	30

परिशिष्ट-3

पुलिस उपाधीक्षक (अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती) जनपदीय व्यवहारिक प्रशिक्षण

<u>विषय वस्तु</u>

(अ) प्रशिक्षण की रूपरेखा
(ब) जनपदीय व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु दिशा निर्देश
(स) निर्दिष्ट कार्य / (Assignments)
(द) व्यवहारिक प्रशिक्षण का मूल्याँकन
(य) निदेशक द्वारा मूल्याँकन

<u>संलग्नक</u>

(I) साप्ताहिक डायरी
(II) जनपदीय प्रशिक्षण की प्रोजेक्ट रिपोर्ट
(III) विवेचना किये गये मामलों की रिपोर्ट लिखने का प्रारूप
(IV) पुलिस उपाधीक्षक (परि0) के जनपदीय व्यवहारिक प्रशिक्षण मूल्यांकन करने का प्रारूप

विशेष- प्रोबेशनर जनपदीय व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान जो भी कार्य देखें या समझें, उनका मिलान अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान दिये गये ज्ञान,कौशल तथा वाँछित मनोवृत्ति से करके तथा अपनी प्रशिक्षण पंजी में लिखेंगे कि जनपद में कितना और कहाँ-कहाँ विचलन हो रहा है। उन्हें जनपदीय पुलिस के कार्य-कलापों में आ गये विचलन से स्वयं विचलित नहीं होना है।

ए- <u>प्रशिक्षण की रूपरेखा</u>

प्रोबेशनरी पुलिस उपाधीक्षकों का जनपदीय व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रोग्राम निम्नवत् होगा-

क्र.सं	मद	अवधि
1	जनपद पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से सम्बद्धता (जिला मजिस्ट्रेट एवं अन्य विभागों से सम्बद्धता करते हुए)	30 दिवस
2	प्रतिसार निरीक्षक के साथ सम्बद्धता	7 दिवस
3	नगरीय थाने से सम्बद्धता	15 दिवस
4	वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी के साथ सम्बद्धता	7 दिवस
5	ग्रामीण थाने से सम्बद्धता	15 दिवस
6	एक ग्रामीण थाने का स्वतंत्र प्रभार	60 दिवस
7	क्षेत्राधिकारी के साथ सम्बद्धता	15 दिवस
	संपूर्ण प्रोग्राम	149 दिवस (5 माह)

तारीखवार विस्तृत प्रोग्राम जनपदीय पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी किया जायेगा, जिसकी एक प्रति कोर्स निदेशक डा0 भीमराव आम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अकादमी मुरादाबाद को भेजी जायेगी।

बी. <u>जनपदीय व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु दिशा निर्देश</u>

प्रोबेशनरी पुलिस उपाधीक्षकों का जनपदीय व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रोग्राम निम्नवत् होगा-

जनपद में आगमन करने के ठीक बाद प्रोबेशनर जनपद के पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला जज से औपचारिक मुलाकात करेंगे। वे जनपद में स्थित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण से भी मुलाकात करेंगे।

इस अवधि में प्रोबेशनर पुलिस अधीक्षक के गोपनीय / कैम्प कार्यालय प्रतिदिन जायेंगे एवं उनके साथ भ्रमण में भी जहाँ तक सम्भव हो जायेंगे व पुलिस की आयी समस्याओं एवं उनके विरूद्ध आयी शिकायतों तथा इन पर कार्यवाही के तरीकों की जानकारी प्राप्त करेंगे। वे जनपद के नियंत्रण कक्ष की कार्य प्रणाली समझेंगे तथा जनपद की दंगा नियंत्रण योजना, आन्तरिक सुरक्षा योजना तथा वॉरबुक की जानकारी प्राप्त करेंगे।

प्रोबेशनर निम्न कार्यवाही की गहरी जानकारी प्राप्त करेंगे-

1. चौकीदारों की नियुक्ति एवं उनसे सम्बन्धित अन्य कार्यवाही
2. लोक शिकायतों एवं अहस्तक्षेपीय एफ.आई.आर. का निस्तारण
3. शस्त्र लाइसेसों के प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही
4. एन.एस.ए. के प्रकरण तैयार करना एवं अन्य सुसंगत कार्यवाही
5. अभियोजन शाखा का पर्यवेक्षण
6. स्थानीय नगर निकाय की कार्य पद्धति
7. आबकारी विभाग की कार्य पद्धति
8. वन विभाग की कार्य पद्धति
9. परिवहन विभाग की कार्य पद्धति
10. लोक निर्माण विभाग की कार्य पद्धति
11. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की कार्य पद्धति
12. विद्युत विभाग की कार्य पद्धति
13. व्यापार कर विभाग की कार्य पद्धति
14. सिंचाई विभाग की कार्य पद्धति
15. कारागार विभाग की कार्य पद्धति

पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट एवं अन्य कार्यालयों में सम्बद्धता का तारीखवार प्रोग्राम जारी करेंगे, जिसकी अवधि 7-10 दिन की होगी।

इस सम्बद्धता का उद्देश्य अन्तर्विभागीय समन्वय में सुधार लाना है। इस दौरान प्रोबेशनर इन विभागों की कार्यवाही समझेंगे तथा (I) इन विभागों का पुलिस के साथ सम्पर्क(II) इनकी पुलिस से अपेक्षायें तथा(III) इन विभागों द्वारा पुलिस की ओर से अनुभूत कठिनाइयों को समझेंगे। पुलिस अधीक्षक लेखा कार्यालय में प्रोबेशनर निम्न बिन्दुओं को खासकर समझेंगे:-

(1) वित्तीय नियम एवं लेखा नियम पढ़ेगे
(2) कैश बुक लिखेंगे
(3) वेतन बिल तैयार करना
(4) कन्टीजेन्सी बिल तैयार करना
(5) रोके गये वेतन का रजिस्टर
(6) वसूली रजिस्टर
(7) कैजुअल्टी रजिस्टर
(8) नकदी का मासिक सत्यापन
(9) बजट अनुमान तैयार करना
(10) यात्रा भत्ता देयक तैयार करना
(11) व्यय की वित्तीय बजट मानक मदों में कटिंग

1. पुलिस अधीक्षक के पत्र व्यवहार कार्यालय में वे निम्न बिन्दुओं को खासकर समझेंगे-

(1) प्राप्त पत्राचार पृष्ठाँकन में उन पर कृत कार्यवाही
(2) प्रस्ताव तैयार करना
(3) लेखन सामग्री का मांगपत्र एवं स्थानीय खरीद
(4) पत्रों की ड्राफ्टिंग
(5) पुरस्कार रोल तैयार करना
(6) पुरस्कार स्वीकृत एवं घोषित करने की प्रक्रिया
(7) सेवा अभिलेखों में पुरस्कार की प्रविष्टि
(8) चरित्र पंजिका का अध्ययन एवं विभिन्न भागों में प्रविष्टियाँ
(9) सेवा पुस्तिका का अध्ययन एवं प्रविष्टियाँ
(10) पेंशन प्रकरण तैयार करना एवं लम्बित प्रकरणों का अनुश्रवण

अपराध शाखा (पेशी पुलिस अधीक्षक) में वे अपराध रजिस्टर, विशेष आख्या पत्रावली, मफरूर रजिस्टर का अध्ययन करेंगे। यहाँ वे पर्यवेक्षण आख्या एवं क्रमागत आख्या लिखना समझेंगे।

जिला अपराध अभिलेख ब्यूरो की कार्य प्रणाली एवं अभिलेखों की जानकारी करेंगे। वे सीसीटीएनएस की विषय रूप से जानकारी करेगे। जनपदीय अभिसूचना इकाई की कार्य प्रणाली की गहराई से जानकारी प्राप्त करेंगे खासकर-

(1) अभिसूचना के विरूद्ध
(2) गोपनीय पत्राचार साइफर प्रणाली
(3) साप्ताहिक डायरी
(4) इण्डेक्स एवं सन्दर्भ
(5) वीवीआईपी सुरक्षा
(6) मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना

इस सम्बद्धता के दौरान प्रोबेशनर(1) पुलिस लाइन का निरीक्षक (2) थाने का निरीक्षण (3) अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक द्वारा की जा रही विभागीय कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहकर इसे समझेंगे। वे एक फाइडिंग तथा दण्डादेश ड्राफ्ट करेंगे।

2. प्रतिसार निरीक्षक के साथ सम्बद्धता

इस दौरान खासकर सीखने वाले बिन्दु-

(1) पुलिस लाइन की कार्यप्रणाली से सम्बन्धित पुलिस रेगुलेशन के प्रावधान
(2) पुलिस लाइन के अभिलेख
(3) हवालात ड्यूटी की रिपोर्ट/ड्यूटी लगाना
(4) एच.ओ.बी. लिखना
(5) अर्दली रूम रजिस्टर में प्रविष्टियाँ करना
(6) वर्दी भण्डार-वर्दी वस्तुओं की खरीद, मांग तथा वर्दी पूर्ण एवं दुरूस्त रखना
(7) राजकीय सम्पत्ति-स्टाक बुक-कण्डम करना-नीलामी
(8) शस्त्रागार-मैगजीन-स्टाक रजिस्टर एवं अन्य अभिलेख
(9) फ़ायरिंग अभ्यास
(10) गोला-बारूद का माँगपत्र
(11) परिवहन शाखा-रन रजिस्टर-मरम्मत-कण्डम करना।

इसी दौरान वे अग्निशमन शाखा की कार्य प्रणाली समझेंगे तथा अग्निशमन केन्द्र के निरीक्षण की जानकारी प्राप्त करेंगे। वे इसके प्रशिक्षण एवं अभ्यास को भी देखेंगे।

3. नगरीय थाने में सम्बद्धता

इस दौरान निम्न बिन्दुओं पर खास ध्यान दिया जायेगा-

(1) थाने के अभिलेख
(2) वे स्वयं रात्रि गश्त करेंगे तथा कर्मचारियों की निगरानी करेंगे
(3) सम्मन वारण्ट तामीला
(4) विवेचकों के साथ रहकर विवेचना की व्यवहारिक समझ प्राप्त करेंगे
(5) वे अभिसूचना एकत्र करना तथा संदिग्ध व्यक्तियों से पूँछताँछ
(6) नगरीय पुलिसिंग की विशेषतायें-दंगा नियंत्रण कक्ष
(7) आरक्षी / मुख्य आरक्षी / थाना प्रभारी की ड्यूटी करेंगे
(8) यातायात नियंत्रण ड्यूटी भी कम से कम 2 घंटे एक बार में कुल-3 बार
(9) अहस्तक्षेपीय एफ.आई.आर. पर कृत कार्यवाही।

4. वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी के साथ सम्बद्धता

इस दौरान निम्न बिन्दुओं पर खास ध्यान दिया जायेगा-

(1) पी.ओ. द्वारा रखे जा रहे अभिलेख एवं रजिस्टर
(2) मालखाना, इसके अभिलेख-मालों का प्रस्तुतीकरण एवं निस्तारण
(3) दोष मुक्ति आख्यायें
(4) मजिस्ट्रेट तथा सत्र न्यायालय में उपस्थित रहकर इनकी कार्य पद्धति को समझना।
(5) थानों से प्राप्त आरोप पत्र अन्तिम रिपोर्ट पढ़कर उन पर ब्रीफ तैयार करना
(6) जमानत / बन्धपत्र का रजिस्टर (न्यायालय)
(7) सही पहचान न ज्ञात होने वाले अभियुक्तों के प्रकरणों में कार्यवाही

5. ग्रामीण क्षेत्र के थाने का स्वतंत्र रूप से प्रभार ग्रहण करना

प्रोबेशनर नियमित रूप से थाने के प्रभारी होंगे। वे कम से कम 5 अभियोगों की विवेचना करेंगे। वे साप्ताहिक डायरी लिखेंगे। इस दौरान जनपदीय पुलिस अधीक्षक को एक बार थाने का निरीक्षण करना चाहिए।

6. क्षेत्राधिकारी के साथ सम्बद्धता

इस दौरान निम्न बिन्दुओं पर खास ध्यान दिया जायेगा

(1) क्षेत्राधिकारी के कार्यालय के अभिलेख
(2) वे क्षेत्राधिकारी के साथ महत्वपूर्ण घटनास्थलों के निरीक्षण में रहेगे तथा पर्यवेक्षण आख्या लिखना सीखेंगे
(3) विशेष आख्या पत्रावली में केस डायरी का सारांश लिखना तथा क्रमागत आख्या लिखना
(4) चौकीदारों की परेड / मीटिंग
(5) आपराधिक अभिसूचना एकत्र करना
(6) परगना मजिस्ट्रेट तथा स्थानीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ सम्बद्ध
(7) यातायात प्रबन्धन छोटे कस्बों में
(8) शान्ति-व्यवस्था की घटना से निपटना

सी- <u>असाइनमेन्ट (निर्दिष्ट कार्य)</u>

व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान प्रोबेशनर्स निम्न आख्यों / अभिलेख तैयार करेंगे।

1. दैनिक डायरी:-

पूर्व में निर्धारित प्रशिक्षण रजिस्टर में दिन-प्रतिदिन के क्रिया कलाप अंकित करेंगे। इसका प्रारूप इस परिशिष्ट के संलग्नक-1 में दिया गया है। वे प्रति सप्ताह डायरी पुलिस अधीक्षक को दिखायेंगे। पुलिस अधीक्षक इसे देखकर तथा प्रोबेशनर से साक्षात्कार करके अपनी स्पष्ट टिप्पणी अंकित करेंगे। प्रोबेशनर प्रत्येक माह के अन्त में डायरी की फोटो प्रति स्वप्रमाणित कर अपने कोर्स निदेशक को भेजेंगे। कोर्स निदेशक यदि समझें कि प्रशिक्षण में कोई कमी है या कोई खास बिन्दु पर कम ध्यान जा पा रहा है तो वे पुलिस अधीक्षक को स्पष्ट पत्र लिख कर इसे ठीक करायेंगे।

जब प्रोबेशनर डि-ब्रीफिंग हेतु अकादमी आते हैं तो पूरा रजिस्टर अपने कोर्स डायरेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ये डायरियाँ दिन-प्रतिदिन लिखी जाये एवं आवश्यक सुस्पष्ट फोटो, स्केच, प्लान, अखबार की कटिंग इत्यादि संलग्न की जायें।

2. जनपद प्रशिक्षण प्रोजेक्ट**-**प्रोबेशनर इस परिशिष्ट के संलग्नक-2 के अनुसार प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसके साथ मानचित्र, फोटोग्राफ इत्यादि भी संलग्न किये जा सकते है।

प्रोबेशनर प्रोजेक्ट प्रारूप में दिये गये प्रश्नों के उत्तर अपने हस्तलेख में अंकित करेंगे। वे इन अधिकारियों के नाम तथा पदनाम लिखेंगे जिससे उनका साक्षात्कार/वार्तालाप हुआ है।

3. निरीक्षण टिप्पणी**-**प्रोबेशनर व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान एक थाने का विस्तृत निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण आख्या अपने हस्तलेख में लिखेंगे। वे इस आख्या को पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करेंगे जो इसे पढ़कर अपनी टिप्पणी के साथ प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे। वे इस आख्या को डि-ब्रीफिंग के साथ कोर्स डायरेक्टर को प्रस्तुत करेंगे। वे अपने पास एक फोटो प्रति रखेंगे। यदि पुलिस अधीक्षक उन्हें किसी अन्य थाने के निरीक्षण हेतु न निर्देशित करें तो वे स्वयं के प्रभार के थाने का निरीक्षण करके आख्या तैयार करेंगे।

4. अभियोगों की विवेचना एवं अन्य कार्य की रिपोर्ट**-**प्रोबेशनर उनके द्वारा विवेचना किये गये अभियोग तथा अन्य कार्य की रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट निम्न श्रेणी की होगी-

(क) अप्राकृतिक मृत्यु
(ख) दुर्घटना प्रकरण
(ग) दंगा
(घ) सम्पत्ति का अपराध
(ड़) अनु.जाति/ज.जा.अधिनियम प्रकरण
(च) दहेज मृत्यु केस
(छ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम केस
(ज) प्रार्थना पत्र की जाँच एवं जाँच आख्या
(झ) घटना/प्रर्दशन/जुलूस इत्यादि की बन्दोबस्त ड्यूटी
(ट) जमानत विरोध प्रपत्र
(ठ) अभिरक्षा में मृत्यु/उत्पीड़न की जाँच रिपोर्ट
(ड) पुलिस फायरिंग पर जाँच आख्या
(ढ) रा0सु0का0 के अन्तर्गत निरूद्धि हेतु आख्या

ये रिपोर्ट इस परिशिष्ट के संलग्नक-3 में दिये गये प्रारूप में होगी तथा प्रोबेशनर के स्वयं के हस्तलेख में होगी । इनके साथ फोटोग्राम,समाचार पत्र की कटिंग इत्यादि लगाये जायें। प्रोबेशनर ऐसे अवसरों पर अपने साथ कैमरा रखेंगे।

5. केस स्टडी**-**प्रोबेशनर शान्ति व्यवस्था की घटनाओं पर दो केस स्टडी निम्नवत् तैयार करेंगे-

(1) ऐसी स्थिति जिसमें अग्रिम प्लानिंग, अभिसूचना एवं सामयिक हस्तक्षेप से स्थिति सही ढ़ग से नियंत्रित कर ली गयी हो।
(2) ऐसी स्थिति जिसमें उपरोक्तानुसार कार्यवाही की कमी के कारण या उक्त कार्यवाही के बावजूद प्रभावी नियंत्रण न हो पाया हो।

6. मानवाधिकार एवं अन्य मुद्दों पर रिपोर्ट-निम्न बिन्दुओं को शामिल करते हुए एक रिपोर्ट मानवाधिकार एवं तत्सम्बन्धी मुद्दों पर तैयार की जायेगी-

(1) पुलिस द्वारा मानवाधिकार का उल्लँघन एवं उनके द्वारा पुलिस को संवेदनशील बनाये जाने पर कृत कार्यवाही।

(2) निम्न मुद्दों पर किये गये प्रयास (क) ग्रामीण क्षेत्र में कम्युनिटी पुलिसिंग (ख) नगरीय क्षेत्र में कम्यूनिटी पुलिसिंग (ग)पुलिस की छवि में सुधार कराना।

(3) लैंगिक मुद्दों के प्रति पुलिस को संवेदनशील बनाये जाने के लिए कृत कार्य।

7. रिपोर्टो का प्रस्तुतीकरण-सभी रिपोर्ट डि-ब्रीफिंग के समय कोर्स डाइरेक्टर को प्रस्तुत की जायेगी। रिपोर्ट न प्रस्तुत करने पर उन्हें अतिरिक्त समय देकर एक मौका और दिया जाये। प्रोबेशन के दौरान सभी रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर-528 के अनुसार प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा न करने पर उनके प्रोबेशनर को बढ़ाये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

डी. व्यवहारिक प्रशिक्षण का मूल्यांकन

व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान प्रोबेशनर के कार्य का मूल्यांकन निम्नानुसार जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा इस परिशिष्ट के संलग्नक-4 के प्रारूप में किया जायेगा। वे अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट परिक्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक को भेजेंगे जो प्रोबेशनर का गहन साक्षात्कार करके उस पर प्रति हस्ताक्षर करेंगे। वे इसकी एक प्रति अपर पुलिस महानिदेशक/ निदेशक, डा0 भीमराव आम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अकादमी, मुरादाबाद को भेजेंगे।

ई. परामर्शी की नियुक्ति-

अकादमी के एक अधिकारी को कतिपय परिक्षेत्र/जोन के लिये प्रोबेशनर्स का परामर्शी नामित किया जायेगा। परामर्शी प्रत्येक का भ्रमण व्यवहारिक प्रशिक्षण के द्वितीय माह तथा चतुर्थ माह में करेंगे। वे प्रोबेशनर्स से साक्षात्कार करके प्रशिक्षण की स्थिति एवं प्रगति ज्ञात करेंगे तथा पुलिस अधीक्षक से विमर्श करके उचित सलाह देंगे। वे परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक तथा जोनल पुलिस महानिरीक्षक से भी मिलकर वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे।

एफ. निदेशक का मूल्यांकन

निदेशक द्वारा व्यवहारिक प्रशिक्षण का मूल्यांकन कर निम्न आधार पर अंक दिये जायेंगे।

(1) प्रोबेशनर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की मौलिकता, प्रस्तुतीकरण, विवरण की गम्भीरता, ड्राफ्टिंग एवं स्वच्छता	50
(2) जनपद पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र द्वारा मूल्याँकन	25
(3) साक्षात्कार	25

कुल	100 अंक

नोट- (1) प्रस्तर-528 पुलिस रेगुलेशन के आधार पर प्रोबेशनर को संलग्नक-4 के प्रस्तर-8 में दिये गये प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

(2) निदेशक के मूल्यांकन में 60 प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य है।

(3) यदि उपर्युक्त 1 एवं 2 में प्रोबेशनर असफल रहता है तो उसका व्यवहारिक प्रशिक्षण एक माह के लिये बढ़ा दिया जायेगा और तदोपरान्त उसे उक्तानुसार प्रमाण पत्र या और अंक प्राप्त करने होंगे।

संलग्नक**-1**

साप्ताहिक डायरी

परिवीक्षाधीन अधिकारी का नाम:

जनपद

वर्तमान सम्बद्धता कब से

डायरी का सप्ताह (अवधि)

क्र. सं0	तारीख/समय	प्रशिक्षण का विवरण/किये गये कार्य का विवरण

सीखने के बिन्दुओं पर टिप्पणी:
प्रणाली में पाये गये कमियाँ/ दोष :
सुधार के लिए उठाये/ सुझाये गये कदम:

तारीख हस्ताक्षर

पुलिस अधीक्षक की टिप्पणी

संलग्नक**-2**

<u>जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम</u>:-प्रोजेक्ट रिपोर्ट

परिवीक्षाधीन अधिकारी का नाम:

जनपद

पुलिस कार्यालय एवं आंकिक शाखा जिसमें महत्वपूर्ण एफआरएस **/** एसआरएस **/** जीएसआरएस**,** वर्दी उपकरण,अस्त्र**-**शस्त्र एवं कारतूस की प्राप्ति एवं रख**-**रखाव।

1- पुलिस अधीक्षक कार्यालय की विभिन्न शाखा?
2- प्रत्येक शाखा का कार्य क्या है, सूचीबद्ध करें ?
3- विभिन्न शाखा प्रभारियों के कर्तव्य?
4- विभिन्न शाखाओं का पर्यवेक्षण कौन-2 करता है?
5- विभिन्न शाखाओं के कार्य में आने वाली कठिनाइयाँ?
6- पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा प्राप्त करने वाले विभिन्न प्रकार के पत्राचार? उनको सूचीबद्ध करें यथा पत्र,प्रथम सूचना रिपोर्ट, शिकायती प्रार्थना-पत्र, वायरलेस संदेश इत्यादि।
7- पुलिस बल में वेतन बिल का तैयार किया जाना, आहरण/वितरण किस प्रकार किया जाता है।
8- अराजपत्रित अधिकारियों तथा आरक्षीगण का यात्रा-भत्ता देयक कैसे तैयार किया जाता है।
9- पुलिस बल में वर्दी, उपकरण, शस्त्र तथा कारतूस प्राप्त करने की प्रक्रिया का उल्लेख करें।
10- फर्नीचर एवं अन्य उपकरण जैसे मोटर वाहन के लिए बैट्री आदि क्रय किये जाने की प्रक्रिया का उल्लेख करें।
11- वाहन की मरम्मत की प्रक्रिया तथा पी.ओ.एल. के वितरण की प्रक्रिया।
12- वर्दी, उपकरण, शस्त्र तथा कारतूस के रख-रखाव तथा उसके वितरण एवं रख-रखाव की प्रक्रिया।
13- मासिक अपराध बैठक किस प्रकार आयोजित की जाती है।

II

पुलिस का आन्तरिक प्रबन्धन जैसे भर्ती एवं प्रशिक्षण**,** पुरस्कार एवं दण्ड**,** मनोबल एवं अनुशासन,आदेश कक्ष के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी के अधिकार।

1- आरक्षी की भर्ती की प्रक्रिया का वर्णन करें, जिसमें योग्यता, निर्धारित परीक्षा एवं आरक्षण इत्यादि को स्पष्ट करें? पिछली भर्ती में भर्ती हुए आरक्षियों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में टिप्पणी ?

2- प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के लिए कहाँ भेजा जाता है? उनके प्रशिक्षण की क्या विषय-वस्तु है ? भर्ती एवं प्रशिक्षण के मध्य औसत समय अन्तराल क्या है ? क्या पिछली दो भर्तियों में लिये गये सभी आरक्षीगण द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया है ?

3- वृहद तथा लघु दण्ड देने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक के अधिकार

4- पुरस्कार देने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक के अधिकार?

5- व्यक्ति द्वारा किये गये सराहनीय कार्य तथा उसके द्वारा उस सम्बन्ध में घोषित पुरस्कार को प्राप्त करने में लगने वाला समय? किसी वर्ष में प्राप्त 04 पुरस्कारों तथा उससे सम्बधित सराहनीय कार्य के तिथि की जानकारी करें।

6- अधीनस्थ अधिकारियों को दिये जाने वाले पुरस्कार की प्रक्रिया क्या है? पुरस्कार की धनराशि किस प्रकार निश्चित की जाती है ? पुरस्कार की धनराशि का निर्धारण किये गये सराहनीय कार्य या अधिकारी की श्रेणी के आधार पर की जाती है ? क्या सराहनीय कार्यों का विस्तृत विवरण सेवा पुस्तिका में अंकित किया जाता है ?

7- आदेश कक्ष में आरक्षियों पर लगने वाले 03 प्रमुख आरोप क्या हैं? आदेश कक्ष कब-2 होता है ?

8- पिछले 04 वर्षों में आदेश कक्ष में प्रस्तुत होने वाले कर्मियों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी हुई है?

9- अधिकारियों / कर्मचारियों के मनोबल की स्थिति क्या है तथा उसका मूल्यांकन किस प्रकार करते हैं (इसके क्या संकेतक हैं)

III

क्षेत्राधिकारी के साथ सम्बद्धता

1- क्षेत्राधिकारी कार्यालय में कौन से अभिलेखों का रख-रखाव किया जाता है?
2- गम्भीर अपराधों की पर्यवेक्षण आख्या किस प्रकार से तैयार की जाता है?
3- क्षेत्राधिकारी द्वारा कितना समय निम्न कार्य में लगाया जाता है?
(अ) अपराध के घटना स्थल पर जाना एवं अपराधों का पर्यवेक्षण
(ब) कानून-व्यवस्था एवं अन्य विभिन्न कर्तव्य
4- निम्न का संक्षिप्त वर्णन करो -
(अ) अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध दुराचरण का आरोप
(ब) जनता के द्वारा की गयी शिकायतों की जाँच
5- क्षेत्राधिकारी कार्यालय में नक्शा पारितोषिक तैयार किया जाता है?
6- क्षेत्राधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले पुलिस थानों का कितनी बार निरीक्षण करना चाहिये?
7- क्षेत्राधिकारी द्वारा वास्तविकता में कितनी बार पुलिस थानों का निरीक्षण किया जाता है।
8- जनता द्वारा की गयी शिकायतें जो क्षेत्राधिकारी को जाँच हेतु प्रेषित की जाती है, उसके पर्यवेक्षण की विधि क्या है? इनमें से कितनी शिकायतों की जॉच स्वयं क्षेत्राधिकारी द्वारा वास्तविकता में की जाती हैं।
9- क्या क्षेत्राधिकारी द्वारा सभी विशेष अपराध मामलों की केस डायरी पूर्ण कर ली गयी है?

IV

विभागीय कार्यवाही किये जाने की प्रक्रिया

1- विभागीय कार्यवाही किये जाने के विभिन्न चरण क्या हैं?
2- जनपद में कितनी विभागीय कार्यवाही लम्बित हैं? सबसे पुरानी विभागीय कार्यवाही कौन सी है ?
3- विभागीय कार्यवाही पूर्ण न किये जाने के क्या कारण हैं?
4- लम्बित विभागीय कार्यवाही कम किये जाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?
5- आपके जिला प्रशिक्षण के दौरान कितनी विभागीय कार्यवाही की गयी तथा कितनी पूर्ण की गयी? सूची प्रस्तुत करें। आपके द्वारा आरोपों का निर्धारण अथवा विभागीय कार्यवाही में यदि कोई त्रुटि देखी गयी, तो उसको सूचीबद्ध करें।

V

अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों का परिवेदना निवारण

सामूहिक परिवेदना

1- अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों की क्या शिकायतें हैं ?

2- इन शिकायतों के निवारण हेतु क्या प्रक्रिया है ?

3- यह प्रक्रिया कितनी प्रभावी है ?

4- निम्न के सम्बन्ध में आपके क्या सुझाव हैं?

(अ) एक नई प्रक्रिया की उत्पत्ति यदि मौजूदा प्रक्रिया प्रभावहीन है।

(ब) मौजूदा प्रक्रिया को और प्रभावी बनाना।

5- कितने अवसरों पर आपके द्वारा अपने कर्मियों से व्यक्तिगत रूप से वार्ता की गयी तथा उनकी शिकायतों को सुना गया ? वार्तालाप से प्राप्त अनुभवों का संक्षिप्त में वर्णन करो ?

VI

कल्याण

1- आपके जनपद में पुलिस कर्मियों एवं उनके परिवारी जनों के लिए कौन-2 सी कल्याणकारी योजनाएं प्रचलित है?

2- इन योजनाओं के प्रभाव के सम्बन्ध में पुलिस कर्मियों का क्या फीडबैक है ?

3- नई कल्याणकारी योजनाओं को आपके जिले के थानों के स्तर पर लागू करने की क्या गुंजाइश है ?

VII

जिला पुलिस अधिकारियों द्वारा थानों का निरीक्षण

1- पुलिस थानों की संख्या, जिनका निरीक्षण किया जाता है,को दर्शाते हुए पुलिस अधीक्षक से क्षेत्राधिकारी तक एक निरीक्षण कार्य योजना तैयार करें तथा विगत वर्ष में कितने पुलिस थानों का निरीक्षण किया गया था, भी दर्शायें ?

2- यदि निरीक्षण पूर्ण नहीं किये गये तो उनका क्या कारण रहा ?

3- निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या था ? कितनी गम्भीरता से निरीक्षण नोट का अनुपालन किया गया (किन्हीं 03 आइटम को चिन्हित करें)

4- पुलिस अधीक्षक के द्वारा थाना एवं चौकी के निरीक्षण के दौरान कितनी बार आप उनके साथ रहे ?

5- निरीक्षण का अन्तिम परिणाम क्या रहा ? निरीक्षण के परिणामों को और अनुकूल बनाने के लिए आपके क्या सुझाव हैं ?

VIII

दण्ड न्याय व्यवस्था

1- जिला की न्यायपालिका की संगठनात्मक संरचना क्या है ?
2- आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किये जाने के बाद, मुकदमे की सुनवाई की क्या प्रक्रिया है ?
3- अपराधिक मुकदमों से सम्बन्धित पुलिस विभाग,न्यायपालिका एवं अभियोजन द्वारा कौन-2 से रजिस्टर/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाता है ?
4- न्यायालय में मुकदमे लम्बित रहने के क्या मुख्य कारण हैं ?
5- गैर जमानती अपराधों के अभियुक्तों द्वारा आसानी से जमानत पाने के क्या कारण हैं (परिवीक्षाधीन अधिकारियों के द्वारा कम से कम 04 जमानती सुनवाई के दौरान उपस्थित रहेंगे तथा इस सम्बन्ध में जारी आर्डर शीट का अवलोकन करेंगे ?
6- दण्ड न्याय प्रक्रिया की विभिन्न इकाइयों का जिला स्तर पर आपसी समन्वय स्थापित करने की क्या व्यवस्था है ?
7- अभियुक्तों के बरी होने के मुख्य कारण क्या है ? इस स्थिति को और सुधारने हेतु आपके क्या सुझाव हैं ?

IX

आंतरिक सुरक्षा योजना तथा दंगा नियंत्रण योजना की विस्तृत रूपरेखा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन निरूद्ध हेतु रिपोर्ट तैयार करना

1. दंगा नियत्रण योजना पर एक संक्षिप्त नोट लिखें।
2. दंगा नियत्रण योजना किस तरह तैयार की जाती है ?
3. यह किस अन्तराल पर अद्यावधिक की जाती है ?
4. पिछली बार दंगा नियत्रण योजना का कब पूर्वाभ्यास किया गया था तथा इसे क्रियान्वित करने में क्या समस्याएं आईं थी ?
5. दंगा नियत्रण योजना में अधीनस्थ अधिकारियों को दी गई भूमिका के बारे में उनकी जानकारी का स्तर कैसा था ?
6. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव किस तरह तैयार किया जाता है ?
7. कानून व्यवस्था ड्यूटी के साथ-साथ पुलिस बल के लिए सामान्य निर्देश का चार्ट (पुलिस बन्दोबस्त) किस तरह तैयार किया जाता है ? (ग्रामीण मेला, त्यौहार, वी.आई.पी. भ्रमण, लोक अशान्ति आदि)

X

प्रशिक्षण की उपलब्धि

1. पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक से प्राप्त होने वाले सबसे महत्वपूर्ण परामर्श क्या रहे ?

पुलिस उपाधीक्षक(प्रशिक्षु) के हस्ताक्षर

पुलिस अधीक्षक की टिप्पणी

दिनाँक: हस्ताक्षर

संलग्नक**-3**

विवेचित मामलों पर रिपोर्ट लिखने का प्रारूप

1. प्र0सू0रि0 संख्या

2. थाने का नाम

3. जिला/राज्य

4. घटना स्थल

5. घटना स्थल का समय व दिनाँक

6. शिकायतकर्ता का नाम व विवरण

7. विवेचनाधिकारी का नाम व पदनाम

8. प्रशिक्षु के व्यवहारिक प्रशिक्षण समाप्ति की तिथि को मामले की अद्यावधिक स्थिति दर्शाते हुए विवेचना का विवरण

(इस प्रगति रिपोर्ट में लिखी गई केसडायरी, घटना स्थल का निरीक्षण, पूछताछ किये गये व्यक्तियों का विवरण, गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों का विवरण, बरामद सम्पत्तियों का विवरण, मांगी एवं प्राप्त की गई विशेषज्ञ की राय, विवेचना का अंतिम परिणाम जैसे आरोप पत्र / अंतिम रिपोर्ट आख्या, मामले में प्रशिक्षु द्वारा निभाई गई भूमिका का उल्लेख अवश्य होना चाहिए आदि)

9. सीखने हेतु बिन्दु

10. पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर एवं टिप्पणी

संलग्नक-**4**

डा**0** भीमराव आम्बेडकर उ**0**प्र**0** पुलिस अकादमी मुरादाबाद

जनपद में पुलिस उपाधीक्षक **(**अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता**)** के व्यवहारिक प्रशिक्षण का मूल्यांकन

प्रशिक्षु का नाम एवं बैच

1. व्यक्तिगत विवरण

    1. नाम
    2. बैच
    3. जनपद सम्बद्धता कब से.....कब तक.....
    4. जनपद का नाम
    5. पुलिस अधीक्षकों के नाम जिनके साथ प्रशिक्षु सम्बद्ध था
    6. प्रशिक्षु द्वारा उपभोग किये गये विभिन्न प्रकार के अवकाश की अवधि

2. पुलिस अधीक्षक के साथ सम्बद्धता

    (पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रशिक्षु को दिये गये पुलिस की ड्यूटी, क्या बताया गया उसके प्रति प्रशिक्षु की प्रतिक्रिया तथा उसे आत्मसात करने की प्रवृत्ति को रेखांकित किया जाना)

3. प्रतिसार निरीक्षक के साथ सम्बद्धता

    (इस अवधि में प्रशिक्षु द्वारा सम्पादित की गई ड्यूटी, मन्तव्य)

4. जनपद मुख्यालय के थाने के साथ सम्बद्धता

    (प्रशिक्षु द्वारा इस अवधि में क्या सीखा गया, क्षेत्राधिकारी का फीडबैक क्या रहा एवं पुलिस अधीक्षक का मन्तव्य)

5. अभियोजन अधिकारी के साथ सम्बद्धता

    (प्रशिक्षु द्वारा कितने कोर्ट के मामले देखे गये तथा न्यायालय की कार्यवाही के संबंध में की गई जानकारी का स्तर)

6. थाने का स्वतंत्र प्रभार
    1. प्रशिक्षु द्वारा स्वतंत्र रूप से की गई विवेचनाओं की संख्या एवं गुणवत्ता का विवरण
    2. कानून व्यवस्था की समस्या को सुलझाने में प्रशिक्षु की योग्यता पर टिप्पणी
    3. क्या संख्या थी
        - अ. भ्रमण किये गये गाँव
        - ब. चैक की गईं बीट
        - स. निगरानी के कार्य
        - द. जॉच किये गयें प्रार्थना पत्र
        - ड़ रात्रि गश्त
    4. समुदाय के साथ संबंध स्थापित किये जाने के संबंध में प्रशिक्षु द्वारा की गई पहल

5. निम्न के संबंध में प्रशिक्षु का दृष्टिकोण
   - अ. शिकायतें
   - ब. याचिकाएं
   - स. कमजोर वर्ग
6. क्षेत्राधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रशिक्षु में देखे गये नेतृत्व संबंधी गुण
7. पुलिसजनों के कल्याण हेतु प्रशिक्षु द्वारा क्या कार्य किये गये
8. प्रशिक्षु द्वारा थाने के अभिलेखों के रख-रखाव की स्थिति
9. नैतिक पुलिसिंग के संबंध में प्रशिक्षु का दृष्टिकोण
10. उक्त अवधि में प्रशिक्षु द्वारा की गई पहल एवं शुरू की गई नई विचारधारा

7. क्षेत्राधिकारी के साथ सम्बद्धता

1. प्रशिक्षु द्वारा गम्भीर अपराधों के घटना स्थल के निरीक्षण की संख्या
2. प्रशिक्षु द्वारा प्रतिभाग किये गये निरीक्षणों की संख्या
3. कानून व्यवस्था ड्यूटी में प्रशिक्षण एक्सपोजर
4. प्रतिभाग की गई विभागीय कार्यवाहियों का विवरण
5. प्रशिक्षु द्वारा कितनी अपराध गोष्ठियों में प्रतिभाग किया गया तथा प्रशिक्षु का योगदान
6. देखे गये सत्र सुनवाई के मामलों की संख्या
7. सभी कार्यों के दौरान प्रशिक्षु द्वारा क्या ज्ञान अर्जित किया गया

8. सामान्य टिप्पणी-

इसके अन्तर्गत परिवीक्षाधीन पुलिस उपाधीक्षक के व्यवहार एवं आदतें, अनुशासन, टर्न आउट, उपस्थिति, प्रशिक्षण में अभिरूचि, काम करने की पहल, पुलिस के कार्यों में नया दृष्टिकोण, सामाजिक शिष्टाचार आदि के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी की जाय।

9. प्रमाण पत्र-

पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर-528 के अनुसार पुलिस अधीक्षक पुलिस उपाधीक्षक (परि0) के संबंध में निम्न आशय का प्रमाण-पत्र देंगे कि--

क. वह जनरल डायरी और केस डायरियों पर उचित आदेश पारित कर सकता है।

ख. वह दक्षतापूर्वक किसी अन्वेषण का पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन कर सकता है।

ग. वह दक्षतापूर्वक किसी थाने का निरीक्षण कर सकता है।

घ. वह पुलिस आंकिक शाखा के कार्य का दक्षतापूर्वक पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन कर सकता है।

ड. वह पुलिस ऐक्ट की धारा-7 के अधीन विभागीय कार्यवाहियाँ दक्षतापूर्वक सम्पादित कर सकता है।

पुलिस अधीक्षक

हस्ताक्षर
नाम बड़े अक्षरों में
जनपद
दिनाँक

परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक की टिप्पणी

हस्ताक्षर
नाम बड़े अक्षरों में
परिक्षेत्र
दिनाँक

कोर्स निदेशक की टिप्पणी

हस्ताक्षर
नाम बड़े अक्षरों में
पदनाम
दिनाँक

निदेशक की टिप्पणी

हस्ताक्षर
नाम बड़े अक्षरों में
निदेशक
दिनाँक

*****

(प्रशान्त कुमार)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ